

# शिक्षा की एकीकृत जिला सूचना प्रणाली



GOVERNMENT OF HARYANA

**Help Module  
for  
UDISE+ Data Capture Format 2019-20**  
Unified District Information System for Education



## Samagra Shiksha

राज्य परियोजना निदेशक  
समग्र शिक्षा

शिक्षा सदन 3<sup>rd</sup> व 4<sup>th</sup> तल, सैक्टर 5 पंचकुला

फोन: 0172-2586035, फैक्स: 0172-2586026

Email ID : [itcellhsspp3@gmail.com](mailto:itcellhsspp3@gmail.com)

Web Site : <http://www.udiseplus.gov.in/> and <http://www.hsspp.in/UDISE.aspx>

## सावधान !!!

### यू-डाईस प्रपत्र भरने के लिए विशेष निर्देश अवश्य पढ़ें

- 1 गत वर्ष भरे U-DISE+ DCF के आधार पर Table 3.3 तक के पेज की सभी सूचनाओं को प्रिन्ट करके दिया गया है। इन सबको चैक करें अगर सूचना गलत भरी है तो इन्हें काट कर Red Pen से पुनः भर दें। यदि ठीक हो तो सही का निशान लगायें।
- 2 U-DISE+ Data Capture Format (DCF) 2019-20 सभी सरकारी, गैर-सरकारी, राजकीय सहायता प्राप्त, मान्यता प्राप्त व गैर मान्यता प्राप्त विद्यालयों, मान्यता प्राप्त मदरसों वगैरह पंजीकृत मदरसों द्वारा भरा जाना है। DCF में सूचना **30 सितम्बर, 2019 के आधार पर भरी जानी है।**
- 3 एक ही प्रांगण में दो प्राथमिक, दो मिडल, दो हाई या दो व0 मा0 विद्यालय स्थित हों तो ये अलग – अलग यू-डाईस भरेगें।
- 4 सभी राजकीय प्राथमिक विद्यालय (कक्षा 1 से 5) अलग से U-DISE+ DCF भरेगें चाहे वे विद्यालय मिडल, हाई व वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के साथ एक ही प्रांगण में या एक ही गाँव में स्थित हो।
- 5 सभी राजकीय सहायता प्राप्त (Govt. Aided) व गैर सहायता प्राप्त विद्यालय (Govt. Un-aided) कक्षा प्रथम से विद्यालय की उच्चतम कक्षा तक के लिए एक ही U-DISE+ DCF भरेगें।
- 6 प्रारम्भिक स्तर: राजकीय प्राथमिक विद्यालय (कक्षा 1 से 5), मिडल स्कूल (कक्षा 6 से 8), हाई व वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कक्षा 6 से 8 तक की सूचना व Private School कक्षा 1 से 8 तक की सूचना प्रारम्भिक स्तर (Elementary level) पर भरें।
- 7 राजकीय विद्यालय SMC/SMDC बैंक खाते की सभी जानकारी ठीक भरें। विद्यालय को सभी Grants इसी बैंक खाते में भेजी जानी हैं।
- 8 गत वर्ष U-DISE+ DCF में कक्षा कक्षाओं, अन्य कक्षाओं, शौचालय व मूत्रालयों की सख्या दी गई थी व पानी की सुविधा का प्रकार भरा था। इनमें परिवर्तन न करें यदि परिवर्तन कर रहे हैं तो कारण अवश्य लिखें कि कक्षा कक्षा नया बना या जीर्ण शीर्ण हो गया या शौचालय व मूत्रालयों की सख्या में परिवर्तन क्यों है। भाग 2 बिंदु 2.1.4 (a), 2.1.4 (c) में कक्षा कक्षाओं, 2.1.4 (b) में अन्य कक्षाओं व बिंदु 2.1.7 (a), 2.1.7 (b) व 2.1.7 (c) में शौचालय व मूत्रालयों की सख्या एक बार ठीक भरने के पश्चात् परिवर्तन ध्यानपूर्वक करें।
- 9 भौतिक सुविधाओं और उपकरणों के संबंध में UDISE+ DCF के सभी डेटा भौतिक सुविधाओं के वास्तविक उपयोग के आधार पर भरे जाएंगे। उदाहरण के लिए, 2009-10 में एक स्कूल में एक विज्ञान प्रयोगशाला (Science Lab) का निर्माण किया गया था, लेकिन वर्तमान में स्कूल इसे कक्षा कक्षा (Classroom) के रूप में उपयोग कर रहा है तो इसे UDISE + DCF भरते समय कक्षा कक्षा माना जायेगा, विज्ञान प्रयोगशाला (Science Lab) नहीं।
- 10 अध्यापकों से सम्बन्धित सूचनायें सारणी 3.3 में प्रिन्ट की हैं। इन सभी को चैक करें। यदि इसमें से कोई अध्यापक सेवानिवृत्त हो गया या बदली हो गई उन्हें काट दे व कारण लिखें। यदि नये अध्यापक ने कार्य ग्रहण कर लिया या किसी अध्यापक की पहले सूचनायें नहीं भरी, उन सभी का विवरण साथ दी गई खाली सारणी में भरें। सभी सूचनाओं का कोड नं ठीक भरें।
- 11 किसी भी सूचना का कोड नं. भरते समय अतिरिक्त सावधानी रखें, कोड भरते समय प्रपत्र के प्रत्येक प्रश्न के लिये दी हिदायतों को ध्यान से अवश्य पढ़ें व उचित कोड का प्रयोग करें। DCF को पहले pencil से भरें, चैक करने के बाद pen से भरें।
- 12 Shift School: एक ही स्कूल भवन की कमी के कारण अगर दो पारीयों में चलता है तो Shift School माना जाएगा। दोनो Shift का एक ही UDISE+ DCF भरा जाना है यदि दो अलग- अलग स्कूल एक ही भवन में अगर दो पारीयों में चल रहे हों तो इनमें से एक स्कूल भवन हीन है व दोनों स्कूल अलग- अलग UDISE DCF भरेगें। दो स्कूल एक ही भवन में अगर एक ही समय चल रहे हों तो यह Shift School नहीं हैं
- 13 स्कूल में खेल का मैदान न हो लेकिन यदि स्कूल के आस पास पड़ोस के स्कूल के खेल का मैदान, खेल स्टेडियम, नगरपालिका का मैदान या पार्क आदि खेल के मैदान के लिये उपलब्ध है तो बिंदु 2.1.13(a) में उपलब्ध (हाँ =1) दिखायें।
- 14 स्कूल में कक्षा व सुविधाओं के लिये जमीन न हो लेकिन प्रथम तल पर कक्षा व सुविधाओं को बनाया जा सकता है तो स्कूल भाग 2 के बिंदु 2.1.5 में स्थान कि उपलब्धता (हाँ = 1) दिखायें।
- 15 आंकड़ा अधिग्रहण प्रपत्र में सभी आंकड़ें ठीक भरने के पश्चात् इसकी एक फोटो प्रति प्रत्येक विद्यालय अपने रिकॉर्ड में अवश्य रखें।
- 16 CWSN बच्चों की संख्या Special Teacher से उनकी निःशक्तता के सभी 21 प्रकार के आधार पर पहचान करवा कर सही भरें।

## Section 1: School Profile (Location, Structure, Management and Medium of Instruction)

बिंदु 1.1 से 1.13 को English Capital Letter में भरें।

- 1.1 **Name of School/विद्यालय का नाम:** अधिकारिक अभिलेखों (Official Records) के अनुसार विद्यालय का पूरा नाम लिखा जाना चाहिए। विद्यालय/ शहर /गाँव/ पंचायत का नाम लिखते समय इनके नामों की (Spellings) को ना बदला जाये।
- 1.2 **Is the school located in Rural or Urban Area/विद्यालय कहाँ स्थित हैं ग्रामीण (Rural)/शहरी (Urban):** यदि विद्यालय ग्रामीण क्षेत्र में है तो विकल्प 1 भरें और अगर शहरी क्षेत्र में स्थित हैं तो विकल्प 2 भरें।
- 1.3 **Village Name (for rural area)/Ward Number (for Urban area)/गाँव का नाम (ग्रामीण क्षेत्र)/वार्ड संख्या (शहरी क्षेत्र):** ग्रामीण क्षेत्रों के प्रसंग में राजस्व विभाग के अभिलेखों के अनुसार गाँव का नाम अंकित करें। शहरी क्षेत्र के प्रसंग में नगर पालिका की वार्ड संख्या का उल्लेख करें, जहाँ विद्यालय स्थित है।
- 1.4 **Name of Cluster Resouce Centre (CRC)/क्लस्टर संसाधन केन्द्र का नाम:** उस क्लस्टर संसाधन केन्द्र (CRC Centre) का नाम लिखिए जिसके अंतर्गत विद्यालय है। विभाग की website: [www.hsspp.in](http://www.hsspp.in) पर क्लस्टर से सम्बंधित स्कूलों की सूची दी गई है। निजी स्कूल संबंधित BRC-cum-BEEO कार्यालय से सी.आर.सी. के बारे में पूछ सकते हैं कि स्कूल किस सी.आर.सी. के तहत कवर किया गया है।
- 1.5 **Pin Code/(पिन कोड):** जहाँ विद्यालय स्थित है उस गाँव/वार्ड की पिन कोड संख्या अंकित करें।
- 1.6 **Name of Gram Panchayat (for rural areas only)/ग्राम पंचायत का नाम (ग्रामीण क्षेत्र):** ग्रामीण क्षेत्र के प्रसंग में उस ग्राम पंचायत का नाम लिखिए जहाँ विद्यालय स्थित है। यदि किसी गाँव में पंचायत नहीं है व विद्यालय बना हुआ हो तो वह गाँव जिस पंचायत से सम्बन्धित है उस पंचायत का नाम लिखिए। एक से अधिक पंचायत की स्थिति में उस पंचायत का नाम लिखें जहाँ पर विद्यालय स्थित है।
- 1.7 **Name of Community Development (CD) Block/खण्ड का नाम:** विद्यालय जिस सामुदायिक विकास खण्ड में स्थित है, उस खण्ड का नाम भरा जायेगा।
- 1.8 **Habitation Name (for rural area)/Mohalla or equivalent urban unit for planning (for urban area)/बस्ती का नाम (ग्रामीण क्षेत्र)/मोहल्ला/कालोनी (शहरी क्षेत्र):** विद्यालय जिस जगह स्थित है उस जगह का नाम। यदि विद्यालय ग्रामीण क्षेत्र में है तो गाँव का पाना या ढाणी का नाम अगर शहरी क्षेत्र में है तो मोहल्ला या कालोनी का नाम लिखें।
- 1.9 **Name of Educational Block/शैक्षिक खण्ड का नाम:** विद्यालय जिस शैक्षिक खण्ड में स्थित है उस खण्ड का नाम भरा जायेगा।
- 1.10(a) **Name of Assembly Constituency/विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम:** विद्यालय जिस विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में स्थित है उस विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम अंकित करें।
- 1.10(b) **Name of Parliamentary Constituency/संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का नाम:** विद्यालय जिस संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में स्थित है उस संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का नाम अंकित करें।
- 1.11 **Name of Municipality/नगरपालिका का नाम:** विद्यालय यदि नगरपालिका (शहर) के क्षेत्र में स्थित है तो उस नगरपालिका का नाम अंकित करें।
- 1.12 **Name of City/शहर का नाम :** शहरी क्षेत्र के विद्यालय शहर का नाम अंकित करें।
- 1.13 **Address of School/स्कूल का पता:** कृपया विद्यालय का पूरा पता भरें।
- 1.14 **Contact Details/ संपर्क विवरण: -**
  - a. **Head of School/विद्यालय मुखिया :** प्रथम भाग में विद्यालय कार्यालय का फोन नं. STD सहित व दूसरे भाग में मुखिया का मोबाइल नं. दिया जाना है।
  - b. **Respondent name (In Capital letters)/ प्रतिवादी व्यक्ति का नाम :-** कृपया करके यू डाईस फार्म भरने वाले व्यक्ति का नाम भरें।
  - c. **Respondent Contact/प्रपत्र भरने वाले व्यक्ति का मोबाईल/फोन नम्बर :** -U-DISE प्रपत्र को Computerized करते समय अगर प्रपत्र में कोई त्रुटि पाई गई तो सम्बन्धित व्यक्ति से उचित जानकारी प्राप्त की जायेगी। इस नम्बर का अन्यथा उपयोग नहीं किया जायेगा।
  - d. **Email of School/ई-मेल ऐड्रेस:** प्रत्येक स्कूल E.Mail address अवश्य भरें। यदि E.Mail address नहीं बनाया है तो उदाहरण [ggsssdinod@gmail.com](mailto:ggsssdinod@gmail.com) (स्कूल के नाम के साथ गाँव/शहर का नाम भी लिखें) की तरह से अपने स्कूल के नाम से ई-मेल ऐड्रेस अवश्य बनायें ताकी स्कूल को सभी सूचनायें भेजी जा सके।
  - e. **Website of School/स्कूल की वेबसाइट:** यदि स्कूल की वेबसाइट है तो कॉलम में अपडेट करें।

1.15 **School Category/विद्यालय का स्तर:** उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए जो लागू होता हो। विद्यालय में सबसे छोटी और सबसे ऊँची कक्षा से ही विद्यालय की श्रेणी का निर्धारण होता है जैसा कि निम्नलिखित संकेत किया गया है।

श्रेणी विवरण	कोड
Primary only with grades 1 to 5 प्राथमिक (कक्षा 1 से 5)	1
Upper Primary only with grades 1 to 8 प्राथमिक से माध्यमिक (मिडिल) (कक्षा 1 से 8)	2
Higher Secondary with grades 1 to 12 प्राथमिक से हाई स्कूल एवं व.मा.वि.तक (कक्षा 1से12)	3
Upper Primary only with grades 6 to 8 केवल माध्यमिक (मिडिल) (कक्षा 6 से 8)	4
Higher Secondary with grades 6 to 12 माध्यमिक से हाई स्कूल एवं व.मा.वि.(कक्षा 6 से 12)	5

श्रेणी विवरण	कोड
Secondary/Sr.Sec. with grades 1 to 10 प्राथमिक से हाई स्कूल (कक्षा 1 से 10)	6
Secondary/Sr.Sec. with grades 6 to 10 माध्यमिक (मिडिल) से हाई स्कूल (कक्षा 6 से 10)	7
Secondary/Sr.Sec. only with grades 9 & 10 केवल सैकेण्डरी स्कूल (कक्षा 9 से 10)	8
Higher Secondary with grades 9 to 12 सैकेण्डरी व सीनियर सैकेण्डरी (कक्षा 9 से 12)	10
Hr.Sec./Jr.College only with grades 11 & 12 केवल सीनियर सैकेण्डरी (कक्षा 11 व 12)	11

- (1) प्राथमिक विद्यालय (कक्षा 1 से 5): वे विद्यालय जिनमें कक्षा 1 से 5 तक की कक्षाएँ लगती हैं।
- (2) प्राथमिक से मिडिल (कक्षा 1 से 8):— ऐसा विद्यालय जिनमें 1 से 8 तक कक्षाएँ हैं।
- (3) प्राथमिक से व.मा.वि (कक्षा 1 से 12):— ऐसा विद्यालय जिनमें कक्षा 1 से 12 तक की शिक्षा का प्रावधान है।
- (4) केवल माध्यमिक (मिडिल) (कक्षा 6 से 8) : ऐसे विद्यालय जिनमें कक्षा 6 से कक्षा 8 तक की शिक्षा दी जाती है।
- (5) मिडिल से हाई स्कूल एवं व.मा.वि.(कक्षा 6 से 12): ऐसे विद्यालय जिनमें कक्षा 6 सबसे छोटी और कक्षा 12 सबसे ऊँची कक्षा है।
- (6) प्राथमिक से हाई स्कूल (कक्षा 1 से 10): ऐसे विद्यालय जिनमें कक्षा 1 से कक्षा 10 तक की शिक्षा दी जाती है।
- (7) मिडिल से हाई स्कूल (कक्षा 6 से 10): ऐसे विद्यालय जिनमें कक्षा 6 से कक्षा 10 तक की शिक्षा दी जाती है।
- (8) केवल सैकेण्डरी स्कूल (कक्षा 9 व 10): ऐसे विद्यालय जिनमें कक्षा 9 से कक्षा 10 तक की शिक्षा दी जाती है।
- (10)सैकेण्डरी व सीनियर सैकेण्डरी (कक्षा 9 से 12) : ऐसे विद्यालय जिनमें कक्षा 9 से कक्षा 12 तक की शिक्षा दी जाती है।
- (11)केवल सीनियर सैकेण्डरी (कक्षा 11 व 12) : ऐसे विद्यालय जिनमें कक्षा 11 व कक्षा 12 की शिक्षा दी जाती है।

1.16 **Lowest and highest classes in the school:**

- (a) विद्यालय में सबसे छोटी कक्षा उदाहरण (00, 01, 06, 09, 11): विद्यालय की कक्षाओं के अनुसार सबसे छोटी कक्षा (01, 06, 09,11) भरे जिसके लिए विद्यालय शिक्षा प्रदान करता है। अगर स्कूल में प्री.प्राइमरी सेक्शन है तो सबसे कम क्लास 0 होगी।
- (b) विद्यालय में उच्चतम कक्षा उदाहरण (05, 08, 10, 12): विद्यालय की कक्षाओं अनुसार सबसे बड़ी कक्षा (05, 08, 10, 12) भरे जिसके लिए विद्यालय शिक्षा प्रदान करता है।
- (c) विद्यालय से संलग्न पूर्व प्राथमिक कक्षा (प्रथम से पूर्व छोटी कक्षा शैक्षिक सुविधाएँ (आंगनवाड़ी छोड़ कर) उपलब्ध? /Whether pre-primary section (other than Anganwadi) attached to school? : यदि कोई पूर्व प्राथमिक अनुभाग स्कूल के साथ संलग्न है कृपया हां = 1 भरे, यदि संलग्न नहीं है 2 भरे।

1.17 **Type of School/विद्यालय का प्रकार:** विद्यालय के लिये उचित कोड भरें :-

- (1) **Boys only/केवल बालकों के लिए:** वे विद्यालय जिनमें केवल बालक (Boys) ही पढ़ रहे हैं।
- (2) **Girls only/केवल बालिकाओं के लिए:** वे विद्यालय जिनमें केवल बालिकाएँ (Girls) ही पढ़ रही हैं।
- (3) **Co-Edu./सह शिक्षा व्यवस्था वाले:** वे विद्यालय जिनमें बालक और बालिकाएँ दोनों पढ़ रहे हों।

नोट:—अगर विद्यालय कि किसी भी कक्षा में लड़के व लड़कियां दोनों पढ़ रहे हैं तो (Co-Education-3) कोड भरा जाना है चाहे विद्यालय का नाम Girls School या Boys School हो। जब स्कूल में केवल लड़के ही पढ़ते हो तथा एक भी लड़की नहीं पढ़ती हो तो कोड (1) भरे। स्कूल में केवल लड़कियां ही पढ़ती हो तथा एक भी लड़का न पढ़ता हो तो कोड (2) भरे।

1.18 **Management of the school/विद्यालय का प्रबंधन:** उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए जो लागू हो। विद्यालय प्रबंधन का संकेत निम्नवत दिया जाता है:—

(Department of Education/शिक्षा विभाग= 1, **Tribal Welfare Department/अनुसूचित जनजाति (ST) कल्याण विभाग=2, Local Body/स्थानीय निकाय= 3, Government Aided/राजकीय सहायता प्राप्त निजी विद्यालय=4, Private Unaided (Recognized)/गैर सहायता प्राप्त निजी विद्यालय (प्राइवेट)= 5, Other Govt. managed schools/अन्य सरकारी प्रबंधन स्कूल =6, Unrecognized/गैर मान्यता प्राप्त विद्यालय =8, **Social Welfare Department/समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित स्कूल = 90, Ministry of Labour/श्रम मंत्रालय द्वारा संचालित स्कूल=91, Kendriya Vidyalaya/Central School/भारत सरकार द्वारा संचालित विद्यालय केन्द्रीय विद्यालय=92, Jawahar Navodaya Vidyalaya/जवाहर नवोदय विद्यालय=93, Sainik School/सैनिक स्कूल =94,****

**Railway School/रेलवे स्कूल=95, Central Tibetan School/केंद्रीय तिब्बती स्कूल = 96, Madarsa Recognized (by Wakf board /Madarsa Board)/मान्यता प्राप्त मदरसा (वकफ बोर्ड या मदरसा बोर्ड द्वारा) =97, Madarsa Unrecognized/गैर मान्यता प्राप्त मदरसा=98**

- **शिक्षा विभाग:** सभी राजकीय विद्यालयों के लिए कोड न. 1 भरें ।
- **सहायता प्राप्त निजी विद्यालय (Govt. Aided):** इस श्रेणी में ऐसे मान्यता प्राप्त विद्यालय आते हैं जो किसी व्यक्ति न्यास (ट्रस्ट) या निजी संगठन द्वारा संचालित हैं और जिन्हें राज्य सरकार से रख-रखाव हेतु नियमित रूप से अनुदान (Grants) प्राप्त होता है। परन्तु इस श्रेणी के सभी स्कूलों को विभाग द्वारा अनुदान देना बंद कर दिया है। अब यह स्कूल गैर सहायता प्राप्त निजी स्कूल (Pvt. Unaided-Recognized) का कोड न. 5 भरें ।
- **गैर-सहायता प्राप्त निजी विद्यालय (Pvt. Unaided-Recognized) :** किसी व्यक्ति या संगठन द्वारा संचालित विद्यालय कोड न. 5 भरें।
- **अन्य सरकारी प्रबंधन स्कूल (Other Govt. managed schools):-** Sports School Rai (Sonipat) and Mewat modal school run by Mewat व राधाकृष्ण स्कूल (शिक्षा बोर्ड भिवानी) विद्यालय कोड 6 भरें।
- **गैर-मान्यता प्राप्त विद्यालय (Unrecognised) :** इस श्रेणी में ऐसे स्कूल आते हैं जिनको विभाग व किसी भी शिक्षा बोर्ड या अन्य अधीन स्वायत्त संगठनों आदि से मान्यता प्राप्त नहीं है। ऐसे स्कूलों के लिए कोड-8 भरें।
- अगर मदरसा मान्यता प्राप्त है तो 97 व मदरसा मान्यता प्राप्त नहीं है तो इसके लिए कोड 98 भरें ।

**नोट:-(राज्य में 2, 3, 90, 91, 95 व 96 कोड्स के कोई स्कूल नहीं है अतः इन कोड्स का प्रयोग न करें)**

- 1.19 **Number of sections by class (if the class is stand alone, has no section then enter 1)/कक्षावार सैक्शन की संख्या:** नियमानुसार प्रत्येक कक्षा में जितने सैक्शन या अनुभाग हैं, उनकी संख्या दी जाए। यदि कक्षा में केवल एक ही सैक्शन है तो 1 भरा जाए। प्रि-प्राईमरी के लिए प्रथम कक्षा से एकदम नीचे की दो कक्षाओं के सैक्शन भरें।
- 1.20 **Year of Establishment of School/विद्यालय स्थापना का वर्ष :** उस वर्ष का उल्लेख कीजिए जब विद्यालय पहली बार प्रारम्भ/स्थापित किया गया। प्राथमिक विद्यालय का दर्जा बढ़ने से विद्यालय चाहे अब माध्यमिक, उच्च या व. मा. विद्यालय बन गया हो, स्थापना वर्ष वही रहेगा जब पहली बार उस विद्यालय की प्रथम कक्षा शुरू हुई थी ।
- 1.21 **Year of Recognition of School (Only for Govt. Aided and Private Unaided School) / विद्यालय को मान्यता का वर्ष:** विद्यालय को प्रारम्भिक स्तर (प्राथमिक या मिडल स्कूल), हाई स्कूल स्तर व सीनियर सैकेण्ड्री स्कूल स्तर की जिस वर्ष में मान्यता प्राप्त हुई वह वर्ष लिखें। राजकीय विद्यालयों में जब भी उपरोक्त स्तरों की कक्षाएं प्रारम्भ हुई वह वर्ष भरें ।
- 1.22 **Year of upgradation of the School (if applicable)/विद्यालय के उन्नयन का वर्ष:** प्राथमिक से आठवी तक का स्कूल, मिडल से हाई स्कूल व हाई स्कूल से सीनियर सैकेण्ड्री स्कूल के उन्नयन (upgradation) का वर्ष भरें । (राजकीय स्कूल के लिए कॉलम 1.21 में दिये गए वर्ष को ही बिन्दु 1.22 में भरें। अन्य विद्यालय स्थिति अनुसार भरें।)
- 1.23 **Is this a special school for CWSN?:** यदि विद्यालय केवल दिव्यांग (Divyang) बच्चों को ही शिक्षा प्रदान करता हो तो 1 कोड भरें अन्यथा 2 भरें।
- 1.24 **Is this a shift school?/विद्यालय भवन में स्कूल पारी (Shift) में लगता है?:** एक ही स्कूल भवन की कमी के कारण अगर दो पारीयों में चलता है तो Shift School माना जाएगा। दोनों Shift का एक ही UDISE+ DCF भरा जाना है यदि दो अलग-अलग स्कूल एक ही भवन में अगर दो पारीयों में चल रहे हों तो इनमें से एक स्कूल भवन हीन है व दोनों स्कूल अलग-अलग UDISE+ DCF भरेंगे। दो स्कूल एक ही भवन में अगर एक ही समय चल रहे हैं तो ये Shift School नहीं हैं।
- 1.25 **Is this a residential school?/आवासीय विद्यालय :** उन विद्यालयों को आवासीय विद्यालयों के रूप में परिभाषित किया गया है जिनमें छात्रावास उपलब्ध है और जहाँ विद्यालय द्वारा छात्रों के लिये भोजन तथा निवास की सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाती है। हाँ के लिये '1', नहीं के लिये '2' भरें ।
- (a) **If Yes, Type of residential school/अगर हाँ, आवासीय स्कूल का प्रकार? (Ashram (Govt.)/आश्रम राजकीय=1, Non-ashram (Govt.)/गैर आश्रम राजकीय= 2, Private/निजी (प्राईवेट)= 3, Others/ अन्य =4, KGBV/ कस्तूरबा गाँव बालिका विद्यालय = 6, Model School/ मॉडल स्कूल =7, Eklavya Model Residential School/ एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय =8)**

b) विद्यालय में छात्रावास सुविधा (Hostel Facilities) किस स्तर के लिए उपलब्ध हैं

स्तर	हाँ= 1/नहीं = 2	बालकों की संख्या	बालिकाओं की संख्या
प्राथमिक स्कूल (कक्षा 1 से 5) के विद्यार्थियों को	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
माध्यमिक स्कूल (कक्षा 6 से 8) के विद्यार्थियों को	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
हाई स्कूल स्तर (कक्षा 9 से 10) के विद्यार्थियों को	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
हायर सैकेण्ड्री स्तर (कक्षा 11 से 12) के विद्यार्थियों को	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

- 1.26 **Is this a minority managed school?/क्या यह अल्पसंख्यक प्रबंधित स्कूल है?:** यदि स्कूल अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा संचालित है व इस स्कूल में उस अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों को प्रवेश में वरीयता मिलती है तो यह धार्मिक अल्पसंख्यक स्कूल है।)
- a) **If Yes, type of minority community managing the School/यदि हाँ, तो स्कूल के अल्पसंख्यक समुदाय का प्रबंधन:** यह स्कूल जिस अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा संचालित है उस समुदाय का कोड भरें। (Muslim/ मुस्लिम =1, Sikhs/ सिख =2, Jain/ जैन =3, Christians/ ईसाई =4, Parsi/ पारसी =5, Buddhist/ बुद्ध =6, Any Other/ कोई अन्य = 7, Linguistic Minority/भाषाई अल्पसंख्यक =8)
- 1.27 **Are majority of the pupils taught through their mother tongue at the primary level ?/क्या प्राथमिक स्तर पर अधिकांश बच्चों को शिक्षण उनकी मातृ भाषा में किया जाता है ?:** यदि स्कूल में शिक्षण का माध्यम (Medium) बच्चों की मातृभाषा में किया जाता है तो हाँ = 1, यदि नहीं तो कोड = 2 भरें।
- 1.28 **Medium of instructions/विद्यालय में शिक्षण का माध्यम:** विद्यालय में प्रारम्भिक स्तर (Elementary Level), हाई स्कूल स्तर (Secondary Level) व सीनियर सैकेण्ड्री (Senior Secondary Level) स्कूल में प्रत्येक स्तर पर जिस भी भाषा के माध्यम से शिक्षण की व्यवस्था है तो कृपया शिक्षण के माध्यम: का उचित कोड भरें। (हिंदी = 04; उर्दू =18; अंग्रेजी= 19)  
यदि कोई अन्य भाषा है तो उल्लेख करें.....
- 1.29 **Language(s) taught as a subject (mention up to three languages)/ भाषाओं को एक विषय के रूप में पढ़ाया जाता है (तीन भाषाओं तक का उल्लेख) :** जो भी भाषाएं पढ़ाई जा रही हो उनका उचित कोड भरें।
- 1.30 **Does the school offer any pre-vocational course(s) at Upper-Primary stage?/क्या स्कूल में Upper Primary स्तर (कक्षा 6 व 8) पर कोई Pre-Vocational Course की पढ़ाई करवाई जाती है।** हाँ =1, नहीं= 2  
**पूर्व व्यावसायिक कोर्स:** पूर्व व्यावसायिक या पूर्व तकनीकी शिक्षा कार्यक्रम व्यावसायिक कोर्स में कक्षा 6 से 8 के छात्रों को काम की दुनिया से परिचित कराने और आगे के व्यावसायिक या तकनीकी शिक्षा कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए तैयार करने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना।
- 1.31 **Does the school provide educational and vocational guidance/counseling to students/ क्या स्कूल क्षमता की खोज और विकास के लिए बच्चों को शैक्षिक व व्यवसायिक मार्गदर्शन और परामर्श (guidance & counseling) प्रदान करता है।** हाँ=1, नहीं= 2।
- 1.32 & 1.33 **Affiliation Board of school/विद्यालय को किस बोर्ड से मान्यता प्राप्त है:** हाई स्कूल व सीनियर सैकेण्ड्री स्कूल को जिस भी शिक्षा बोर्ड से परीक्षाओं के लिए मान्यता प्राप्त है उसका उचित कोड तथा मान्यता का नम्बर भरें। (CBSE = 1, State Board = 2, ICSE = 3, International Board = 4, Others = 5, Both CBSE & State Board =6)  
यदि कोड न0 5 का प्रयोग किया जा रहा है तो बोर्ड, जिससे मान्यता ली हुई है उस शिक्षा बोर्ड का नाम भरें।
- 1.34 **Distance of the school (in km.) from the nearest Govt./Govt.Aided School (विद्यालय की राजकीय विद्यालय से दूरी ( कि.मी. में): केवल राजकीय/राजकीय सहायता प्राप्त निजी स्कूल भरें।):** स्कूल को सभी बिंदुओं यानी को a, b, c और d भरना चाहिए।
- (a) **From Primary School having classes 1-5: निकटतम स्कूल की दूरी भरें, जिसमें कक्षा 1 से 5 है। निकटतम विद्यालय का अर्थ किसी अन्य स्कूल से है जिसका UDISE कोड आपके स्कूल से अलग है। यदि कोई GPS एक ही परिसर में मौजूद है तो इसे अलग स्कूल माना जाएगा क्योंकि सभी GPS के अलग-अलग UDISE कोड होते हैं।**
- (b) **From Upper Primary School having classes 6-8: निकटतम स्कूल की दूरी भरें, जिसमें कक्षा 6 से 8 है। निकटतम विद्यालय का अर्थ किसी अन्य स्कूल से है जिसका UDISE कोड आपके स्कूल से अलग है।**
- (c) **From Secondary School having classes 9-10: निकटतम स्कूल की दूरी भरें, जिसमें कक्षा 9 से 10 है। निकटतम विद्यालय का अर्थ किसी अन्य स्कूल से है जिसका UDISE कोड आपके स्कूल से अलग है।**
- (d) **From Higher Secondary School having classes 11-12: निकटतम स्कूल की दूरी भरें, जिसमें कक्षा 11 से 12 है। निकटतम विद्यालय का अर्थ किसी अन्य स्कूल से है जिसका UDISE कोड आपके स्कूल से अलग है।**
- Note:-** यदि 1st निकटतम विद्यालय में कक्षा 6-12 है तो (b), (c) और (d) समान होंगे। यदि 1st निकटतम विद्यालय में कक्षा 6-10 हैं तो (b) और (c) समान होंगे लेकिन (d) दूसरे निकटतम विद्यालय जिसमें 6-12 या 9-12 कक्षाएँ हैं, दूरी के अनुसार भिन्न होगा। यदि 1st निकटतम विद्यालय में कक्षा 6-8 और दूसरे निकटतम विद्यालय में 6-12 या 9-12 कक्षाएँ हैं तो (c) और (d) समान होंगे लेकिन (b) 1st निकटतम विद्यालय की दूरी के अनुसार भिन्न होगा। यदि 1st निकटतम विद्यालय में कक्षा 6-8, दूसरे निकटतम स्कूल में कक्षा 6-10 या 9 से 10 हैं और तीसरे निकटतम स्कूल में

कक्षा 6-12 या 9-12 तक की कक्षाएं हैं, तो (b) 1st निकटतम विद्यालय, (c) दूसरे निकटतम विद्यालय और (d) तीसरे निकटतम विद्यालय की दूरी के अनुसार भिन्न-2 होंगे। सभी GPS का UDISE कोड अलग है और एक ही परिसर में मौजूद होने पर भी इसे अलग स्कूल माना जाएगा। लेकिन (a) में भरे गए GPS की दूरी किसी भी GMS, GHS या GSSS के बराबर हो सकती है, यदि GPS एक ही परिसर में मौजूद है।

“दूरी” को “स्कूल के रास्ते में सभी प्राकृतिक और मानव निर्मित बाधाओं को हटाने के बाद के बाद पैदल दूरी” के रूप में परिभाषित किया गया है जैसे राजमार्ग, रेलवे लाइन आदि।

- 1.35 **Whether school is approachable by all-weather roads?/क्या विद्यालय की सड़क/मार्ग सभी मौसम में आने जाने के लिए उपयुक्त है:** यदि हाँ तो विकल्प 1 भरें और यदि नहीं तो विकल्प 2 भरें।

**बिंदु 1.36 केवल राजकीय विद्यालय व सहायता प्राप्त निजी विद्यालय भरें।**

- 1.36 **Whether Anganwadi Centre is located inside school premises?/विद्यालय के प्रांगण में या चारदीवारी के साथ स्थापित आंगनवाड़ी:** राज्य में महिला तथा शिशु विकास विभाग द्वारा संचालित आंगनवाड़ी केन्द्रों के माध्यम से पूर्व प्राथमिक शिक्षा प्रदान की जाती है। यदि आंगनवाड़ी केन्द्र विद्यालय परिसर या विद्यालय की चारदीवारी के अन्दर लगते हैं तो हाँ =1 भरें और यदि नहीं तो विकल्प 2 भरें।

a. **Code of the Anganwadi Centre:** आंगनवाड़ी केन्द्र को राज्य में महिला तथा शिशु विकास विभाग द्वारा जारी कोड भरें।

b. **Total Children in Anganwadi Centre:** आंगनवाड़ी व बालवाड़ी केन्द्र में पढ़ रहे छात्र व छात्राओं का विवरण दें।

**Note:-** अगर एक स्कूल में दो आंगनवाड़ी केन्द्र हैं तो 1.36 (क) में अधिक नामांकन वाले आंगनवाड़ी के कोड को भरें। दोनों आंगनवाड़ी का नामांकन 1.36 (ग) में जोड़कर भरें।

c. **Is the Anganwadi Worker trained in early childhood education:** यदि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बाल शिक्षा को देने में निपुण हैं तो हाँ =1 अन्यथा नहीं =2 भरें।

**विद्यालय के शिक्षण दिवस एवं समयावधि का विवरण:**

- 1.37 **Number of instructional days (previous academic year)/गत सत्र (2018-19) में विद्यालय लगने के कुल दिवसों की संख्या:** विद्यालय में (प्राथमिक, मिडिल, सैकेण्ड्री व सीनियर सैकेण्ड्री) जिस भी स्तर की कक्षाएं लग रही हों उन सभी स्तरों का विद्यालय लगने के कुल दिवसों की संख्या अलग-अलग भरें। स्कूल द्वारा प्राथमिक (कक्षा 1 से 5), मिडिल (कक्षा 6 से 8), सैकेण्ड्री (कक्षा 9 से 10) व सीनियर सैकेण्ड्री (कक्षा 11 से 12) कक्षाएं कितने – कितने दिन लगी हैं अलग-अलग भरें। दिनों की संख्या समान हो सकती और अलग-अलग भी। इसी प्रकार अन्य विद्यालय भरें।

- 1.38 **Average school hours for children (per day)/वर्तमान सत्र (2019-20) में बच्चों के लिए प्रतिदिन विद्यालय का समय कितने घंटे निर्धारित है:** विद्यालय में (प्राथमिक, मिडिल, सैकेण्ड्री व सीनियर सैकेण्ड्री) जिस भी स्तर की कक्षाएं लग रही हों उन सभी स्तरों का विद्यालय में बच्चों के लिए प्रतिदिन विद्यालय का समय कितने घंटे निर्धारित है (उदाहरण के लिए 6 घंटे 30 मिनट के लिए 6.30 लिखें)। उसकी संख्या अलग-अलग भरें। स्कूल द्वारा प्राथमिक (कक्षा 1 से 5), मिडिल (कक्षा 6 से 8), सैकेण्ड्री (कक्षा 9 से 10) व सीनियर सैकेण्ड्री (कक्षा 11 से 12) कक्षाओं के लिए कितने – कितने घंटे समय निर्धारित हैं अलग-अलग भरें। घंटों की संख्या समान हो सकती और अलग-अलग भी। इसी प्रकार अन्य विद्यालय भरें।

- 1.39 **Average working hours for Teachers (per day)/वर्तमान सत्र (2019-20) में शिक्षकों के लिए प्रतिदिन विद्यालय का समय कितने घंटे निर्धारित है:** विद्यालय में (प्राथमिक, मिडिल, सैकेण्ड्री व सीनियर सैकेण्ड्री) जिस भी स्तर की कक्षाएं लग रही हों उन सभी स्तरों का विद्यालय में शिक्षकों का पढ़ाने के लिए प्रतिदिन विद्यालय का समय कितने घंटे निर्धारित है (उदाहरण के लिए 6 घंटे 30 मिनट के लिए 6.30 लिखें)। उसकी संख्या अलग-अलग भरें। बिन्दु 1.38 की तरह भरें।

- 1.40 **Is CCE being implemented in school?/क्या विद्यालय में सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन (CCE) लागू किया गया है।** CCE स्कूल के किस स्तर के लिए कार्यान्वित की जा रही है कृपया तदनुसार विकल्प हाँ= 1 या नहीं=2 भरें।

a) अगर लागू किया गया है तो क्या बच्चों का संचयी रिकॉर्ड (Cumulative Record) बनाया है। हाँ के लिए 1 और नहीं के लिए 2 विकल्प भरें।

b) क्या बच्चों के संचयी रिकॉर्ड को बच्चों के अभिभावकों के साथ सांझा किया गया। हाँ के लिए 1 और नहीं के लिए 2 विकल्प भरें।

**Question No. 1.41 & 1.42 (only for Private Unaided Schools) प्राइवेट असहायता प्राप्त स्कूल विवरण दें**

**1.41 For Private Unaided Schools (प्राइवेट असहायता प्राप्त स्कूलों के लिए):** निजी स्कूलों से अनुरोध है कि वे नीचे (ए) और (बी) के लिए हरियाणा शिक्षा नियमावली 2003 के अनुसार डेटा भरें :

- (a) हरियाणा शिक्षा नियमावली 2003 की धारा 134-A के तहत वर्तमान शैक्षिक 2019-20 सत्र में आर्थिक रूप से कमजोर अथवा वंचित वर्ग (EWS\*) के कितने बच्चों ने कक्षा प्रथम में प्रवेश लिया? (संख्या लिखें)
- (b) हरियाणा शिक्षा नियमावली 2003 की धारा 134-A के तहत कमजोर अथवा वंचित वर्ग (EWS) के कितने बच्चों ने गत वर्षों में प्रवेश लिया व वर्तमान सत्र में भी पढ़ रहे हैं? (सभी कक्षाओं का योग कर संख्या लिखें)

**1.42 (a)** हरियाणा शिक्षा नियमावली 2003 की धारा 134-A के तहत कमजोर अथवा वंचित वर्ग (EWS\*) के कितने कुल छात्र शैक्षिक 2019-20 सत्र में पढ़ रहे हैं? कुल छात्रों का कक्षा अनुसार विवरण दें। यहां दी गई सभी कक्षाओं का योग, 1.41(a) व 1.41(b) में दिए गए कुल छात्रों के बराबर होना चाहिए।

(b) केवल वे स्कूल विवरण प्रदान करेंगे जिन्होंने रियायती दर तहत पर भूमि, भवन, उपकरण या अन्य सुविधाएं प्राप्त की हैं:- हरियाणा शिक्षा नियमावली 2003 की धारा 134-A के तहत कमजोर अथवा वंचित वर्ग (EWS\*) के कितने छात्र वर्तमान शैक्षिक 2019-20 सत्र में पढ़ रहे हैं? कक्षा अनुसार विवरण दें।

\*EWS: As defined in Section 2(e) of the RTE Act i.e. child belonging to such parent or guardian whose annual income is lower than the minimum limit specified by the appropriate Government, by notification

**Question no. 1.43 to 1.51 (केवल सरकारी और सहायता प्राप्त गैर-सरकारी स्कूलों के लिए)**

**1.43 Whether any Out of School Children enrolled in the school are attending Special Training?/ क्या स्कूल में नामांकित कोई भी स्कूली बच्चे विशेष प्रशिक्षण में भाग ले रहे हैं ?:** RTE के तहत आयु के अनुसार कक्षा में सीधे प्रवेश लेने वाले बच्चों को उस कक्षा के स्तर तक लाने के लिए विशेष प्रशिक्षण (Special Training/Bridge Course) दिये जाने का प्रावधान है। यदि इस तरह का प्रशिक्षण बच्चों को दिया गया हो तो विवरण भरें।

- a. वर्तमान सत्र 2019-20 में विशेष प्रशिक्षण हेतु नामांकित बच्चों की संख्या भरें।
- b. गत सत्र 2018-19 में विशेष प्रशिक्षण हेतु नामांकित बच्चों की संख्या भरें।
- c. गत सत्र 2018-19 में विशेष प्रशिक्षण पूर्ण करने वाले बच्चों की संख्या भरें।
- d. विशेष प्रशिक्षण किसके द्वारा दिया जा रहा है? (विद्यालय के शिक्षकों द्वारा = 1, विशेष प्रशिक्षक द्वारा = 2, दोनों प्रकार (कोड क्रमांक 1 एवं 2) = 3, अराजकीय संस्था (NGO) द्वारा = 4, अन्य = 5)
- e. विशेष प्रशिक्षण कहाँ दिया जा रहा है? (विद्यालय के परिसर में = 1, विद्यालय परिसर से बाहर = 2, दोनों प्रकार से = 3 (कोड क्रमांक 1 एवं 2))
- f. विशेष प्रशिक्षण किस प्रकार का है? (आवासीय = 1, गैर आवासीय = 2, दोनों प्रकार से = 3 (कोड 1 एवं 2))

**1.44 No. of students attending Remedial Teaching in current year/वर्तमान वर्ष में रेमेडियल टीचिंग (उपचारात्मक शिक्षण) में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या भरें।** उपचारात्मक शिक्षण धीमी गति के शिक्षार्थियों की पहचान करना और उनकी कठिनाई के सभी क्षेत्रों की पहचान करने के बाद उनकी समस्याओं को दूर करने में मदद करने के लिए आवश्यक सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करना है।

**1.45 When does the academic session start? Give the month/विद्यालय का वर्तमान शैक्षणिक सत्र किस माह प्रारंभ हुआ?:** माह की क्रम संख्या (अप्रैल माह के लिए 04 लिखें)।

**1.46 Whether full set of textbooks received in current academic year?/ क्या वर्तमान शैक्षणिक वर्ष में पाठ्य पुस्तकों का पूरा सेट प्राप्त हुआ है?:** क्या वर्तमान सत्र में छात्रों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का पूरा सेट (30 सितम्बर 2019 तक) प्राप्त हो गया है?

यदि हाँ तो पुस्तक किस मास व वर्ष में दी गई है, वह भरें। यदि सभी कक्षाओं के सभी बच्चों को पुस्तकों का पूरा सेट प्राप्त हुआ है तो 1 भरें, यदि सारी पाठ्य पुस्तक नहीं मिली है तो 2 विकल्प भरें।

**1.47 Whether the School has received graded supplementary material in previous academic year?/ क्या विद्यालय को पिछले शैक्षणिक वर्ष में ग्रेडेड अनुपूरक सामग्री प्राप्त हुई है?:** यदि गत वर्ष में श्रेणीबद्ध पूरक सामग्री प्राप्त हुई है तो हाँ=1 अन्यथा नहीं=2 भरें। एक अंतराल को भरने के लिए अनुपूरक कुछ अतिरिक्त है। अनुपूरक किसी चीज का महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकता है या सिर्फ अतिरिक्त सहायता। यहाँ हम ग्रेड वार अनुपूरक सामग्री प्राप्त करने के बारे में पूछ रहे हैं जिसमें पुस्तकालय पुस्तकें, बरखा सीरीज पुस्तकें और एनबीटी पुस्तकें आदि शामिल हो सकती हैं।

**1.48 Availability of free Textbooks, Teaching Learning Material (TLM) and play material (in current academic year)/ मुफ्त पाठ्यपुस्तकों की उपलब्धता, शिक्षण अधिगम सामग्री (टीएलएम) और खेल सामग्री (वर्तमान शैक्षणिक वर्ष में):**



- Whether complete set of free textbooks received [ Yes =1, No = 2]  
निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का पूरा सेट प्राप्त हुआ है। (हाँ= 1, नहीं = 2)
- Whether TLM available for each grade [ Yes =1, No =2]  
शिक्षण अधिगम सामग्री/उपकरण (Teaching Learning Equipment) सभी कक्षाओं के लिए उपलब्ध है। (हाँ= 1, नहीं= 2)
- Whether play material, games and sports equipment available for each grade [Yes = 1, No =2]  
खेल का सामान आदि सभी ग्रेड के लिए उपलब्ध है तो 1 भरे, नहीं उपलब्ध है तो 2 अंकित करें

**1.49 Details of visits to the school during the previous academic year/पिछले शैक्षणिक वर्ष के दौरान स्कूल की यात्राओं का विवरण:** गत वर्ष 2018-19 (गत शैक्षिक वर्ष 1 अप्रैल, 2018 से 31 मार्च, 2019 की स्थिति में) की विद्यालय से सम्बन्धित निम्न सूचनायें दें।

- No. of academic inspections/शैक्षिक निरीक्षणों की संख्या :** इस प्रयोजन हेतु विगत शैक्षिक सत्र में विद्यालयों के निरीक्षण के लिए अधिकृत राज्य सरकार के अधिकारी द्वारा किये गये निरीक्षणों की संख्या भरें।
- No. of visits by CRC Coordinator/क्लस्टर हेड द्वारा किये गए भ्रमणों की संख्या :** विगत शैक्षिक सत्र के दौरान CRC Head द्वारा अकादमिक सहयोग प्रदान करने और अन्य प्रयोजनों से विद्यालय अवलोकन की संख्या भरें।
- No. of visits by Block Level Officers (BRC-cum-BEEO/BEO)/खण्ड स्तर के अधिकारियों द्वारा किये गये भ्रमणों की संख्या:** पिछले शैक्षिक सत्र के दौरान ब्लॉक संसाधन केन्द्र समन्वयकों के अकादमिक सहायता प्रदान करने और अन्य उद्देश्यों से विद्यालय अवलोकन की संख्या भरें।
- No of visits by District/State Level Officers/राज्य/जिला स्तर के अधिकारियों द्वारा किये गये भ्रमणों की संख्या:** पिछले शैक्षिक सत्र के दौरान जिला स्तर या राज्य स्तर के अधिकारियों द्वारा अकादमिक सहायता प्रदान करने और अन्य उद्देश्यों से किए गये कुल विद्यालय अवलोकनों की संख्या भरें।

**1.50 Whether School Management Committee (SMC) has been constituted?**

**क्या स्कूल प्रबंधन समिति (एसएमसी) का गठन किया गया है? (केवल सरकारी विद्यालय SMC सूचना भरें)**

क्या विद्यालय में School Management Committee बनाई गई है। SMC का गठन विद्यालय के विकास व देख रेख के लिए किया जाता है। विद्यालय के कर्मचारी, समुदाय के प्रतिनिधि व बच्चों के माता-पिता/अभिभावकों को इसका सदस्य बनाया जाता है। हाँ के लिए 1 और नहीं के लिए 2 विकल्प भरें। यदि SMC बनाई गई है तो

- SMC में कुल सदस्यों की संख्या (पुरुष/स्त्री) की संख्या अलग-अलग दर्शाएं।
- बच्चों के माता-पिता/अभिभावकों/संरक्षकों की कुल संख्या व कुल संख्या में से **SC, ST, EWS, Minority** का अलग-अलग विवरण भरें।
- SMC में स्थानीय पंचायत/नगर पालिका के नुमाइंदों की संख्या भरें।
- SMC में मेम्बर के तौर पर कार्य कर रहे शिक्षकों की संख्या भरें।
- SMC के सदस्यों की संख्या भरें जो SMC के बारे में प्रशिक्षण ले चुके हैं।
- गत शैक्षिक वर्ष (2018-19) में SMC की कुल मीटिंग/सभाओं की संख्या भरें।
- क्या SMC ने विद्यालय विकास योजना तैयार कर ली है। हाँ = 1, नहीं = 2 भरें।
- क्या SMC का अलग से बैंक खाता खोला गया, हाँ के लिए 1, नहीं के लिए 2 भरें।  
यदि बैंक खाता खोला गया है तो- बैंक का नाम, शाखा का नाम, खाता नम्बर, IFSC/RTGS कोड लिखें।

**नोट:-SMC बैंक खाते की जानकारी ठीक भरें। विद्यालय को सभी Grants (School grant, Civil Work etc.) इसी बैंक खाते में भेजी जानी है।**

**(केवल राजकीय हाई/सीनियर सैकेंडरी स्कूलों के लिए)**

**1.51 Whether School Management Committee (SMC) and School Management and Development Committee (SMDC) are same in the school?/ स्कूल प्रबंधन समिति (एसएमसी) और स्कूल प्रबंधन और विकास समिति (एसएमडीसी) स्कूल में समान हैं या नहीं?:** सभी राजकीय हाई/सीनियर सैकेंडरी स्कूलों को विभाग द्वारा निर्देश दिये गये हैं कि SMDC को भंग कर दें व SMC का विस्तार करें। सभी राजकीय हाई/सीनियर सैकेंडरी जिन्होंने SMDC को भंग करके SMC का विस्तार कर लिया है वे सरकारी स्कूल हाँ=1 भरें अन्यथा नहीं=2 भरें व SMDC की जानकारी दें। प्राइवेट स्कूलों में यदि SMDC का गठन किया गया है तो जानकारी उपलब्ध करवायें।

**1.52(a) Whether School Management and Development Committee has been constituted (Yes=1/No=2)**

**क्या स्कूल प्रबंधन और विकास समिति का गठन किया गया है?: कृपया SMDC जानकारी तभी भरें जब अलग SMDC स्कूल में काम कर रहा हो।**

यदि SMDC का गठन किया गया है तो हाँ=1 भरें व SMDC के गठन से संबंधित निम्नलिखित जानकारी दें अन्यथा नहीं=2 भरें।

सरकारी स्कूलों को SMDC को निम्न प्रकार से गठित करने के आदेश विभाग द्वारा दिये गये थे:-

1. मुख्याध्यापक/प्रधानाचार्य/वरिष्ठ अध्यापक — अध्यक्ष

- II एक विज्ञान अध्यापक — सदस्य
- III एक सामाजिक विज्ञान अध्यापक — सदस्य
- IV एक गणित अध्यापक — सदस्य
- V साक्षर महिला समूह की एक प्रतिनिधि (ग्रामीण क्षेत्रों में)/शिक्षा क्षेत्र में एक विख्यात महिला— सदस्य
- VI पंचायत/नगरपालिका/नगर परिषद/नगर निगम के तीन सदस्य जैसा भी मामला हो (कम से कम अनुसूचित जाति का एक सदस्य और एक महिला सदस्य हो) — सदस्य
- VII.अभिभावक— अध्यापक संगठन द्वारा निर्वाचित दस अभिभावक सदस्य जिसमें कम से कम पाँच महिला सदस्य हों। यदि सी.डबल्यू एस.एन या बी.पी.एल. परिवारों के बच्चे उन स्कूलों में पढ़ रहे हैं तो हर वर्ग का एक एक अभिभावक तथा अनुसूचित जाति का भी एक अभिभावक अवश्य शामिल हो। —सदस्य

**नोट:-** अभिभावक व पंचायत/नगर पालिका के सदस्य व महिला समूह की एक प्रतिनिधि यदि अनुसूचित जाति (SC) वर्ग से हैं तो इन्हें पवित्र (VI) में दोबारा से भरें। इस प्रकार पवित्र 1 से 5 का जोड़ कुल सदस्यों की संख्या के बराबर नहीं होगा।

- b) Number of SMDC meetings held during the last academic year  
गत सत्र में हुई स्कूल प्रबंध एवं विकास समिति (SMDC) बैठकों की संख्या भरें
- c) Whether SMDC has prepared School Improvement Plan?(Yes=1,No=2)  
स्कूल प्रबंध एवं विकास समिति (SMDC) द्वारा विद्यालय विकास की योजना तैयार की गई? (हाँ =1, नहीं = 2)
- d) Whether separate Bank Account for SMDC is being maintained? (Yes=1,No=2)  
स्कूल प्रबंध एवं विकास समिति (SMDC) का पृथक से बैंक खाता खोला गया है? (हाँ = 1, नहीं = 2)

यदि हाँ

बैंक का नाम \_\_\_\_\_

बैंक की शाखा का नाम \_\_\_\_\_

बैंक खाता नम्बर \_\_\_\_\_

बैंक खाते का नाम \_\_\_\_\_

IFSC कोड \_\_\_\_\_

**नोट:-SMDC बैंक खाते की जानकारी ठीक भरें। विद्यालय को सभी Grants (School grant, Teacher grant, Free uniform grant, civil work etc.) इसी बैंक खाते में भेजी जानी है।**

- e) Whether the School Building Committee (SBC) has been constituted?(Yes=1,No=2)  
यदि स्कूल द्वारा विद्यालय भवन समिति का गठन किया गया है तो हाँ=1, नहीं=2 भरें।
- f) Whether the school has constituted its Academic Committee (AC)? (Yes=1, No=2)  
यदि स्कूल द्वारा शैक्षणिक समिति का गठन किया गया है तो हाँ=1, नहीं=2 भरें।
- g) Whether the school has constituted its Parent-Teacher Association (PTA)? (Yes=1, No=2)  
यदि स्कूल द्वारा अभिभावक शिक्षक संघ का गठन किया गया है तो हाँ=1, नहीं=2 भरें।

If Yes, 1) Number of PTA meetings held during the last academic year

यदि हाँ, 1) तो अभिभावक शिक्षा संघ द्वारा गत सत्र 2017-18 में की गई बैठकों की संख्या भरें।

## Section 2: Physical Facilities and Equipments (भौतिक सुविधाएं और उपकरण)

**Note:-** भौतिक सुविधाओं और उपकरणों के संबंध में UDISE+ DCF के सभी डेटा भौतिक सुविधाओं की वास्तविक स्थिति के आधार पर भरे जाएंगे। उदाहरण के लिए, 2009-10 में एक स्कूल में एक विज्ञान प्रयोगशाला (Science Lab) का निर्माण किया गया था, लेकिन वर्तमान में स्कूल इसे कक्षा कक्ष (Classroom) के रूप में उपयोग कर रहा है तो इसे UDISE+ DCF भरते समय कक्षा कक्ष माना जायेगा, विज्ञान प्रयोगशाला (Science Lab) नहीं।

### Section 2.1 Physical Facilities and Equipments in Schools

2.1.1 Status of the school building?/विद्यालय में भवन की स्थिति के अनुसार कोड भरें।

- (1) **Private/प्राइवेट:** विद्यालय भवन का स्वामित्व किसी एक व्यक्ति या संगठन के पास है। उदाहरण के लिए सहायता प्राप्त प्राइवेट विद्यालय जिसका अपना भवन है।
- (2) **Rented/किराये पर:** सरकारी/ प्राइवेट विद्यालय जिसके पास अपना भवन नहीं है व भवन के लिए किराये का भुगतान किया जाता है।
- (3) **Government/सरकारी:** शिक्षा के प्रयोजन के लिए प्रयोग किये जाने वाले ऐसे विद्यालय भवन को इस श्रेणी में माना जाएगा जिसका स्वामित्व सरकारी विभाग के पास है।

- (4) **Government School in rent free building/बिना किराये के भवन में सरकारी विद्यालय:** कुछ सरकारी विद्यालयों के पास अपना भवन नहीं है किन्तु वे समुदाय द्वारा /एक व्यक्ति या संगठन उपलब्ध कराये गये भवन/ कमरों में काम करते हैं और उनके लिए कोई किराया नहीं दिया जाता ।
- (5) **No Building/भवनहीन:** भवनहीन विद्यालयों का उल्लेख इस श्रेणी में किया जाना है ।
- (7) **Building under Construction/निर्माणाधीन:** वह विद्यालय जिसका पूराभवन निर्माणाधीन हो। एक या दो अतिरिक्त कक्षा-कक्षों के निर्माणाधीन होने पर विद्यालय यह कोड न भरें।
- (10) **School running in other Department Building/अन्य विभाग के भवन में चल रहा स्कूल :** उदाहरण के लिए यदि स्कूल रेलवे विभाग या पंचायत विभाग के भवन में चल रहा है।

### 2.1.2 Type of School Building/स्कूल की इमारत का प्रकार?

कृपया अवस्था के अनुसार बिल्डिंग ब्लॉक की संख्या में भवन की स्थिति भरें।

Total number of Building Blocks of the school (स्कूल के बिल्डिंग ब्लॉक्स की कुल संख्या)	Out of total number of Building Blocks, number of (बिल्डिंग ब्लॉक्स की कुल संख्या में से )					Building under Construction (निर्माणाधीन भवन)
	Pucca Building (पक्का बिल्डिंग ब्लॉक)	Partially Pucca (building with pucca walls and floor without concrete roof) (आंशिक रूप से पक्का ( पक्की दीवारों और फर्श, बिना ठोस छत के साथ निर्माण)	Kuchcha building (कच्चा ब्लॉक/भवन)	Tent (तंबू)	Dilapidated Building (जीर्ण-शीर्ण भवन)	

नोट: - कोई भी स्कूल टेंट में नहीं चल रहा है। इसलिए कृपया इस प्रकार की जानकारी को गलती से भरने से बचें।

- 2.1.3 **Type of Boundary Wall/चारदीवारी का प्रकार :** सम्भव विकल्प है : 1=Pucca (पक्की तथा अच्छी दिशा में), 2=Pucca but broken (पक्की लेकिन टूटी हुई), 3=Barbed wire fencing (कांटेदार तार की घेराबन्दी), 4=Hedges (बाड़), 5=No boundary wall (कोई चारदीवारी नहीं), 6=Others (अन्य), 7=Partial (आंशिक), 8=Under Construction (निर्माणाधीन)। विद्यालय में उपरोक्त में से जिस भी प्रकार की चारदीवारी हो उसका उपयुक्त कोड भरें ।

**Note: - सरकारी मानदंड है कि एक नई निर्मित चारदीवारी की ऊँचाई 6 फीट होनी चाहिए । इसलिए कृपया उसके अनुसार चारदीवारी की स्थिति भरें।**

### 2.1.4 Details of classrooms available in the school (for classes pre-primary to XII)

विद्यालय में उपलब्ध कक्षा कक्षों का विवरण (पूर्व प्राथमिक कक्षा से बारहवीं कक्षा से बारहवीं कक्षा के लिए)

#### 2.1.4 (a)

No. of total classrooms available for instructional purpose (शैक्षणिक कार्यों के लिए उपलब्ध कुल कक्षा कक्षों की संख्या)	No. of classrooms under construction निर्माणाधीन कक्षा कक्षों की संख्या	Total Classrooms in dilapidated condition कुल कक्षा कक्ष जो जीर्ण-शीर्ण अवस्था में
(1)	(2)	(3)

**शैक्षणिक कार्यों के लिए प्रयोग किये जाने वाले कक्षा कक्ष:**

- (1) **शैक्षणिक कार्यों के लिए प्रयोग किये जाने वाले कक्षा कक्षों (Class Rooms) की संख्या:** वे कक्ष जिनमें प्रतिदिन अध्यापन कार्य किया जाता है को 2.4.1(a) में पहले कॉलम में उपलब्ध कुल कक्षा कक्ष की संख्या भरें। कृपया कुल कक्षा कक्ष भरें जिनका निर्देशात्मक उद्देश्यों के लिए का उपयोग किया जा रहा है और वे जिनका उपयोग नहीं किया जा रहा है लेकिन उपयोग किया जा सकता है। दोनों प्रकार के कक्षा कक्षों का योग भरें।

इनमें मुखिया कक्ष, पुस्तकालय, Computer room, प्रयोगशाला, Store, EDUSAT Room, Staff Room आदी की संख्या यहां न भरें।

- (2) **निर्माणाधीन कक्षा कक्षों (Class Rooms) की संख्या:** स्कूल में निर्माणाधीन कक्षा कक्षों (Class Rooms) की संख्या 2.4.1(a) में दूसरे कॉलम में भरें।

- (3) **जीर्ण शीर्ण कक्षा कक्षों (Dilapidated):** यदि स्कूल को लगता है कि जो कक्षा कक्ष जीर्ण शीर्ण (Dilapidated) अवस्था में हैं व इनका शिक्षण कार्यों के लिए उपयोग करना सुरक्षित नहीं है की संख्या 2.4.1(a) में तीसरे कॉलम में भरें।

#### (i) Out of the Total Classrooms available for instructional purposes, the details by stage/level

(कुल कक्षा कक्षों में से निम्न कक्षा समुहों हेतु कुल कितने कक्षा कक्ष उपलब्ध हैं): 2.1.4 (a) में भरे गए कुल कक्षा कक्षों को हर स्तर यानी प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तर के लिए द्विभाजित किया जाएगा और उपलब्धता / उपयोग के अनुसार भरा जाएगा। 2.1.4 (a) के 1st कॉलम में भरे हुए कक्षा कक्षों की कुल संख्या अलग-अलग स्तरों के लिए 2.1.4 (a) (i) में अलग-2 से भरी गई संख्या के बराबर होनी चाहिए।

- (a) पूर्व प्राथमिक (कक्षा LKG से UKG) )  (d) सैकेण्ड्री (कक्षा 9 से 10)   
 (b) प्राथमिक (कक्षा 1 से 5)  (e) सीनियर सैकेण्ड्री (कक्षा 11 से 12)   
 (c) मिडिल (कक्षा 6 से 8)

(b) **Total number of rooms other than classrooms available in the school/कुल अन्य कक्ष (120 वर्ग फुट से छोटे अन्य कक्ष व किचन शेड को छोड़ कर) की संख्या:** इस मद में कक्षा कक्षाओं व किचन शेड को छोड़कर विद्यालय के अन्य सभी कमरे सम्मिलित किये जाने चाहिए व इनकी संख्या एक साथ जोड़कर भरें। इनमें मुखियाकक्ष, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, Computer room, Store, EDUSAT Room, Staff Room और अन्य कक्षाओं को सम्मिलित कीजिए जिनका उपयोग नियमित कक्षा शिक्षण में नहीं किया जाता व 120 वर्ग फुट से बड़े है। विद्यालय अन्य कक्षा की संख्या एक साथ जोड़कर भरें।

Note:- 2.1.4 (बी) में प्रदान किए गए कुल अन्य कमरे, बिंदु संख्या 2.1.6, 2.2.1, 2.2.2, 2.3.1 और 2.3.2 में दिए गए विवरण से कम नहीं हो सकते।

(c) **No. of classrooms by condition/कक्षा-कक्षाओं की बनावट के प्रकार व स्थिति के अनुसार वर्गीकरण :**

कक्षा-कक्षाओं की दशा	No. of classrooms by condition बिंदु 2.1.4(a)(i) में भरे शैक्षणिक कार्यों के लिए प्रयोग किये जाने वाले कुल कक्षा कक्षाओं की संख्या		
	अच्छी स्थिति (Good condition)	लघु मरम्मत योग्य (Need Minor Repair)	अधिक मरम्मत योग्य (Need Major Repair)
Pucca/पक्का			
Partially Pucca/आंशिक पक्का			
Kuchcha/कच्चा			
Tent/तंबू			

**दशा :** राज्य में सभी राजकीय व प्राइवेट विद्यालयों का भवन पक्का है। अतः सभी कुल कक्षा कक्षाओं की स्थिति पक्का पक्का में भरें।

**दशा के आधार पर कक्षा-कक्षाओं का वर्गीकरण :** कक्षा-कक्षाओं का निम्नवत वर्गीकरण किया जाता है :-

**अच्छी दशा (Good condition):** वे कमरे जिसमें किसी मरम्मत की आवश्यकता न हो व अच्छी दशा में भरें हैं।

**लघु मरम्मत योग्य (Minor Repair) :** वे कक्षा जिनमें मुख्यरूप से फर्श, छत या दीवारों में प्लास्टरिंग या टूटे दरवाजे या खिड़कियों को बदलना या मरम्मत की आवश्यकता हो, को यहाँ भरें।

**बड़ी या अधिक मरम्मत योग्य (Major Repair):** बड़ी या अधिक मरम्मत में पुननिर्माण या दीवार अथवा छत में ढाँचा गत परिवर्तन सम्मिलित है।

**नोट: बिंदु न0 2.1.4 (a)(i) में भरे कुल कक्षा कक्षाओं का योग व बिंदु 2.1.4 (c) में अच्छी स्थिति, लघु मरम्मत योग्य व अधिक मरम्मत योग्य में भरे कुल कक्षा कक्षाओं का योग बराबर रहे।**

**2.1.5 Whether land is available for expansion of school facilities/अन्य कक्षा-कक्षाओं के निर्माण हेतु स्थान की उपलब्धता:** भविष्य में यदि कक्षा कक्षाओं के निर्माण की आवश्यकता पड़ती है तो क्या विद्यालय परिसर में जमीन या प्रथम/दुसरे तल पर स्थान उपलब्ध होगा। हाँ के लिए 1 भरें व नहीं के लिए 2 भरें।

**2.1.6 Whether separate room for Head Teacher / Principal available (क्या हेड टीचर/प्रिंसिपल के लिए अलग कमरा उपलब्ध है?):** मुखिया के लिए अलग से कक्ष उपलब्ध है तो 1 भरें, नहीं है तो 2 अंकित करें।

**2.1.7 Does the school have toilet/क्या स्कूल में शौचालय है? (हाँ = 1, नहीं = 2)**

a) शौचालयों का विवरण (Details of Toilets):							
क्रम संख्या	शौचालय की स्थिति	केवल लड़कों के लिये		केवल लड़कियों के लिये		कुल शौचालयों की संख्या	
		कुल	उपयोग के योग्य*	कुल	उपयोग के योग्य*	कुल	उपयोग के योग्य*
i)	विद्यालय में उपलब्ध / शौचालयों (टॉयलेट सीट) (CWSN शौचालय को छोड़कर) की संख्या						
ii)	विद्यालय में CWSN के उपयोग करने योग्य शौचालयों (टॉयलेट सीट) की संख्या						
(i+ii)	कुल उपलब्ध / शौचालय ? (CWSN शौचालय सहित)						
	<b>Details of Urinals (मूत्रालयों का विवरण)</b>						
iii)	उपलब्ध कुल मूत्रालयों की संख्या (Total Urinals available)						

**\*उपयोग के योग्य शौचालय की परिभाषा:** शौचालयों में उपलब्ध पानी, न्यूनतम गंध (बिना गंध के), अखंड सीट, नियमित रूप से साफ, सूखा, कार्यशील जल निकासी प्रणाली के साथ, उपयोगकर्ताओं के लिए सुलभ, बंद दरवाजा। वे शौचालय जो ठीक है व उनका उपयोग लड़को/लड़कियों द्वारा किया जा रहा है।

**Note:-** स्कूल में केवल लड़के पढ़ रहे हैं तो शौचालय केवल लड़को के लिए भरें और यदि स्कूल में केवल लड़कियां पढ़ रही हैं तो शौचालय केवल लड़कियों के लिए भरें। अगर दोनों पढ़ रहे हैं तो शौचालयों को प्रयोग के आधार पर बांट के भरें। विद्यालयों में शौचालय के समुचित विभाजन उपलब्ध नहीं होने पर विद्यालय के प्रत्येक शौचालय को क्रम संख्या दें। सह.शिक्षा विद्यालयों में, विषम संख्या वाले शौचालय को लड़कों के शौचालय के रूप व सम संख्या शौचालय वाले शौचालय को लड़कियों का शौचालय माना जा सकता है।

- b) **Out of the total number of functional toilets/urinals given in Table 2.1.7 (a), how many have running water available in the toilet/urinal for flushing and cleaning?** (कुल उपयोग के योग्य शौचालयों / मूत्रालयों की कुल संख्या में से कितने में टॉयलेट / मूत्रालय में फ्लशिंग और सफाई के लिए पानी (नल) की व्यवस्था है।): लड़कें व लड़कियों के लिए अलग-अलग भरें।
- c) **Is hand washing facility with soap available near toilets/urinals block?** (शौचालय/यूरिनल ब्लॉक के पास साबुन के साथ हाथ धोने की सुविधा उपलब्ध है) हाँ के लिए 1, नहीं के लिए 2 भरें।
- d) **Whether incinerator is available in/attached to girls toilet?** (क्या लड़कियों के टॉयलेट में इंसिनेरेटर उपलब्ध/जुड़ा है?) हाँ के लिए 1, नहीं के लिए 2 भरें।

**2.1.8 Whether drinking water is available in the school premises?/क्या विद्यालय परिसर में पेयजल (Drinking Water) सुविधा की उपलब्धता है:** विद्यालय में पेयजल की सुविधा उपलब्ध है तो कोड 1 भरें अन्यथा कोड 2 भरें।

- (a) यदि हाँ, विद्यालय परिसर में पेयजल सुविधा हेतु पानी का मुख्य स्रोत (Drinking Water)? प्रायः उपयोग होने वाली पेयजल सुविधा पेयजल के मुख्य स्रोत का उल्लेख कीजिए जिसका विद्यालय में प्रायः उपयोग किया जाता है। कृपया विवरण प्रदान करें कि कौन सा स्रोत निम्नलिखित स्रोतों से उपलब्ध है और यह भी भरें कि स्रोत कार्यात्मक है या नहीं।

संभव विकल्प हैं –(1) Handpumps (हैंडपम्प), (2) Protected Well (संरक्षित कुआँ),

(3) Unprotected Well (असंरक्षित कुआँ), (4) Tap Water (वाटर सप्लाई कनेक्शन),

(5) Packaged/Bottled Water (पैक/बोतलबंद पानी)

(6) Other (अन्य) \_\_\_\_\_ (Like Submersible or any other source, please write name)

- (b) क्या स्कूल में जल शोधन व्यवस्था (Water Purifier/RO) की सुविधा है। हाँ के लिए 1, नहीं के लिए 2 व गैर-कार्यात्मक के लिए कोड 3 भरें।
- (c) क्या पानी की गुणवत्ता का परीक्षण जल परीक्षण प्रयोगशाला से किया जाता है? हाँ के लिए 1, नहीं के लिए 2 अंकित करें।

**2.1.9 Does the school have provision for rain water harvesting/क्या स्कूल में जल संरक्षण की व्यवस्था (Rain water harvesting) की सुविधा है?:** स्कूल में वर्षा के जल को संरक्षित करने हेतु यदि व्यवस्था है तो कोड 1, नहीं के लिए 2 अंकित करें।

**2.1.10 Whether handwashing facility with soap available for washing hands before and after meal/भोजन से पहले और बाद में हाथ धोने के लिए साबुन के साथ हाथ धोने की सुविधा उपलब्ध है या नहीं?:** हाँ के लिए 1, नहीं के लिए 2 भरें।

यदि हाँ = 1, a) हाथ धोने की सुविधा के लिए उपलब्ध स्थानों की संख्या भरें।

**2.1.11 (a) Whether electricity connection is available in the school/विद्यालय में बिजली का कनेक्शन:** ऐसे विद्यालय को विद्युत सुविधा से युक्त माना जायेगा, जिसमें बिजली की सुविधा है। यदि बिजली की सुविधा है तो '1' नहीं पर '2' तथा बिजली कनेक्शन क्रियाशील नहीं होने पर '3' अंकित कीजिए।

(b) **Whether Solar Panel is available in school/क्या स्कूल में सोलर पैनल उपलब्ध है?** हाँ के लिए 1, नहीं के लिए 2 भरें तथा सोलर पैनल क्रियाशील नहीं होने पर '3' अंकित कीजिए।

**2.1.12 Whether the school have library facility/book bank/Reading Corner/क्या विद्यालय में पुस्तकालय/बुक बैंक/रीडिंग कॉर्नर (पढ़ने के लिए स्थान) की सुविधा उपलब्ध है?:**

- **Library Facility/पुस्तकालय:** स्कूल में पाठ्य पुस्तकों के अलावा अन्य पुस्तकें बच्चों के पढ़ने के लिये हो तो विद्यालय में पुस्तकालय की सुविधा (Library facility) उपलब्ध है (हाँ = 1) भरें व कुल पुस्तकों की संख्या अंकित कीजिए। यदि विद्यालय में अन्य पुस्तकें बच्चों के पढ़ने के लिये न हो तो नहीं = 2 अंकित कीजिए।
- **Book Bank/पुस्तक बैंक:** विद्यालय में बुक बैंक (स्कूल शैक्षिक वर्ष के अंत में अगली कक्षा में उत्तीर्ण हुए बच्चों की अच्छी स्थिति की पाठ्य पुस्तकें वापस ले कर या स्कूल द्वारा नई पाठ्य पुस्तकें खरीद कर बुक बैंक में रखी जाती हैं ताकि अगले वर्ष अन्य बच्चों द्वारा पुनः उपयोग की जा सकें तो विद्यालय में बुक बैंक की सुविधा है) की उपलब्ध है व कुल पुस्तकों की संख्या अंकित कीजिए। यदि विद्यालय में बुक बैंक की सुविधा न हो तो नहीं = 2 अंकित कीजिए।

- **Reading Corner/रीडिंग कॉर्नर:** स्कूल में किसी भी जगह पर कोने में रीडिंग कॉर्नर स्थापित किया गया हो व उसमें बच्चों के पढ़ने के लिए पुस्तकें रखी हों। यदि रीडिंग कॉर्नर की सुविधा उपलब्ध है (हाँ =1) भरे अन्यथा '2' अंकित कीजिए व कुल पाठ्य पुस्तकों की संख्या अंकित कीजिए। यह ध्यान रखा जाए कि रीडिंग कॉर्नर की पुस्तकें बिंदु 2.1.12 अ पुस्तकालय की पुस्तकों के अलावा हों। ये पुस्तकें पुस्तकालय की कुल पुस्तकों में न जोड़ी गई हों।
- (a) Does the school have a full-time librarian/क्या स्कूल में पूर्णकालिक लाइब्रेरियन है? हाँ=1 नहीं=2 अंकित कीजिए
- (b) Does the school subscribe to newspapers/magazines/क्या विद्यालय में मैगजीन या अखबार लिया जाता है?: यदि विद्यालय में मैगजीन या अखबार लिया जाता है तो हाँ के लिए 1 नहीं के लिए 2 अंकित करें।
- 2.1.13 Whether playground facility is available?/क्या विद्यालय में खेल मैदान (Play Ground) उपलब्ध है?:**  
हाँ के लिए 1 नहीं के लिए 2 अंकित करें।
- (a) यदि नहीं, स्कूल में खेल का मैदान न हो लेकिन स्कूल के आस पास यदि पड़ोस के स्कूल के खेल का मैदान, खेल स्टेडियम, नगरपालिका का मैदान या पार्क उपलब्ध है तो हाँ के लिए 1 नहीं के लिए 2 अंकित करें।
- 2.1.14 Whether Medical check-up of students was conducted in last academic year/विद्यालय में पिछले वर्ष छात्रों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया:** यदि विद्यालय में पिछले वर्ष 2018-19 में छात्रों का ए.एन.एम. तथा प्रशिक्षित शिक्षकों/डॉक्टरों द्वारा बच्चों के स्वास्थ्य की जाँच गत वर्ष की गई हो तो '1' अंकित कीजिए अन्यथा '2' अंकित कीजिए। यदि हाँ तो
- (a) **Total number Medical Check-ups conducted:** गत वर्ष स्वास्थ्य परीक्षण कितनी बार हुआ है संख्या अंकित करें।
- (b) **De-worming tablets given to children:** क्या बच्चों को De-worming दवाइयाँ दी गई है (1 = पूर्ण (दो खुराक), 2 = आंशिक (एक खुराक), 3 = नहीं दी गई)
- (c) **Iron and Folic Acid:** विद्यालय में बच्चों को आयरन और फोलिक एसिड की टेबलेट दी गई: यदि विद्यालय में महिला एवं बाल विकास विभाग के निर्देशानुसार बच्चों को आयरन और फोलिक एसिड की टेबलेट दी गई तो हाँ के लिए 1 तथा नहीं के लिए 2 भरें।
- 2.1.15 Whether ramp for disabled children to access school building/क्या विद्यालय में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (CWSN) को शिक्षण कक्षों तक पहुँचने के लिए रैम्प (Ramp) सुविधा की उपलब्ध है:** यदि रैम्प की सुविधा उपलब्ध है। इस स्थिति में हाँ के लिए 1 भरें तथा रैम्प नहीं है के लिए 2 भरें।
- यदि हाँ i) रैम्प में हैण्ड रेल की सुविधा उपलब्ध है? हाँ के लिए 1 तथा नहीं के लिए 2 भरें।
- 2.1.16 Whether school has special educator/क्या स्कूल में विशेष शिक्षक है?** यदि स्कूल के लिए विशेष शिक्षक नियुक्त किया गया है तो कोड 1 भरें, यदि विशेष शिक्षक क्लस्टर स्तर पर नियुक्त किया गया है तो कोड 2 भरें, अन्यथा कोड 3 भरें।
- 2.1.17 Whether Kitchen Garden is available in school/स्कूल में किचन गार्डन उपलब्ध है या नहीं?** हाँ के लिए 1 तथा नहीं के लिए 2 भरें। किचन गार्डन से अभिप्राय एक बगीचा या क्षेत्र जहाँ सब्जियाँ, फल, या जड़ी-बूटियाँ घरेलू उपयोग के लिए उगाई जाती हैं।
- 2.1.18 Does the school have dustbins for collection of waste/क्या स्कूल में कचरे के संग्रह के लिए डस्टबिन हैं?**
- (a) Each Class Room/कक्षा के लिए डस्टबिन: यदि सभी कक्षाओं के लिए उपलब्ध है तो हाँ 1 भरें, यदि उपलब्ध नहीं है तो नहीं = 2 भरें और यदि कुछ कक्षाओं के लिए उपलब्ध है तो 3 भरें।
- (b) Toilet/शौचालय के लिए : यदि उपलब्ध है तो हाँ = 1 भरें अन्यथा नहीं = 2 भरें।
- (c) Kitchen/रसोई के लिए : यदि उपलब्ध है तो हाँ = 1 भरें अन्यथा नहीं =2 भरें।
- 2.1.19 No. of students for whom furniture is available/कृपया उन छात्रों की संख्या भरें जिनके लिए फर्नीचर उपलब्ध है?**

## Section 2.2 Physical Facilities & Equipments in Schools (केवल हाई/सीनियर सैकेण्ड्री स्कूलों के लिए)

2.2.1 विद्यालय में निम्नलिखित सुविधाओं की उपलब्धता की स्थिति :

क्रं	विवरण	उपलब्धता (हाँ = 1, नहीं = 2)
A	उप-मुख्याध्यापक/उप- प्राचार्य का अलग से कक्ष उपलब्ध है	
B	छात्राओं के लिए अलग से कक्ष (Common room for girls)	
C	शिक्षकों के लिए अलग से कक्ष (Staff-room for teachers)	
D	अन्य शिक्षक (Co-curricular)/ गतिविधिया कक्ष/ कला एवं शिल्प कक्ष	
E	कर्मचारी निवास (मुख्याध्यापक/प्राचार्य निवास सहित)	
F	एकीकृत विज्ञान प्रयोगशाला (Integrated Science Lab) (ऐसा कक्ष जिसमें भौतिक, रसायन और जीवविज्ञान से संबंधित प्रयोगिक कार्य होते हैं) केवल हाई स्कूल स्तर के लिए	
G	पुस्तकालय के लिए अलग से पुस्तकालय कक्ष (Library Room)	

H	कंप्यूटर कक्ष (Computer room)	
I	टिंकरिंग लैब (Tinkering Lab)	

- f) एकीकृत विज्ञान प्रयोगशाला: स्कूल में कक्षा 6 से 10 हेतु विज्ञान प्रयोगशाला यदि है तो जानकारी बिंदु 2.2.1 के भाग 'I' में भरें कक्षा 11 से 12, अलग-अलग विज्ञान विषयों की विज्ञान प्रयोगशाला की जानकारी बिंदु 2.2.2 में दें।
- h) यदि स्कूल में कक्षा 9 से 10 व 11 से 12 के लिए ICT/CAL Lab के अलावा कोई कम्प्यूटर कक्ष/लैब है तो बिंदु 2.2.1 के भाग 'h' में भरें। ICT /CAL लैब की जानकारी यहां नहीं दी जाएगी

- 2.2.2 विद्यालय में प्रयोगशाला (Laboratories) की उपलब्धता (केवल कक्षा 11 व 12 के उपयोग हेतु) : स्कूल के सीनियर सैकेण्ड्री कक्षाओं (11 व 12 कक्षा) के उपयोग हेतु जिस भी विषय की प्रयोगशाला हेतु अलग से कक्ष की उपलब्धता की जानकारी हेतु हाँ के लिए 1 तथा नहीं के लिए 2 भरें। यदि स्कूल में प्रयोगशाला है प्रयोगशाला की वर्तमान स्थिति की जानकारी निम्न बिंदुओं पर दे। पूर्णतया सुसज्जित = 1, आंशिक सुसज्जित = 2, कुछ भी समान नहीं = 3
- 2.2.3 विद्यालय में बिंदु में दिये गये यंत्र/उपकरणों: विद्यालय में उपलब्ध यंत्र/उपकरणों की कार्यशील/उपयोगिता की स्थिति की जानकारी दें। यदि उपलब्ध है तो 1 नहीं है तो 2 भरें। यदि उपलब्ध है लेकिन कार्यात्मक नहीं है तो 3 भरें।

### Section 2.3: Computers and Digital Initiatives (कंप्यूटर और डिजिटल पहलें)

- 2.3.1 Is CAL Lab is available in the school?/क्या स्कूल में कैल कम्प्यूटर लैब उपलब्ध है? यदि उपलब्ध है तो 1, नहीं है तो 2 भरें।
- 2.3.2 Is ICT Lab is available in the school?/क्या में स्कूल ICT लैब उपलब्ध है? यदि उपलब्ध है तो 1, नहीं है तो 2 भरें।

यदि ICT लैब उपलब्ध है, तो कृपया निम्नलिखित विवरण प्रदान करें:

- (a) Year of implemenation/ICT का कार्यान्वयन का वर्ष
- (b) Whether the ICT lab is functional or not/ICT लैब कार्यात्मक है या नहीं
- (c) Which model is implemntated in the schol /ICT लैब के स्कूल में कौन सा मॉडल लागू किया गया है।  
(Boot Model = 1, BOO Model= 2, Other = 3)

**Boo (Build Own Operate):** BOO मॉडल के तहत, सेविस प्रदाता द्वारा निर्मित बुनियादी ढांचे को उनके द्वारा एक विशेष अवधि के लिए संचालित / रखरखाव किया जाता है और समय अवधि पूरी होने के बाद, वह उपकरणों को निकाल लेता है।

**Boo (Build Own Operate Transfer):** BOOT मॉडल के तहत, सेवा प्रदाता द्वारा निर्मित बुनियादी ढाँचा एक विशिष्ट अवधि के लिए उनके द्वारा संचालित / रखरखाव किया जाता है और समय अवधि पूरी होने के बाद, उपकरण का स्वामित्व अन्य पार्टी को स्थानांतरित कर दिया जाता है।

- (d) Type of the ICT Instructor in the school/ स्कूल में ICT प्रशिक्षण का प्रकार  
(Full time = 1, part time = 2, Not available = 3)

- 2.3.3 स्कूल में वस्तुओं का विवरण प्रदान करें। यदि उपलब्ध है तो कॉलम 1 में हाँ = 1 भरें, अन्यथा नहीं = 2 भरें, यदि हाँ तो कॉलम 2 में इकाइयों की कुल संख्या भरें व कॉलम 3 में कार्यात्मक इकाइयों की संख्या भरें।

- 2.3.4 Whether ICT based tools are used for teaching/शिक्षण के लिए ICT आधारित उपकरणों का उपयोग किया जाता है या नहीं ? यदि उपयोग किया जाता है तो हाँ = 1 भरें, अन्यथा नहीं = 2 भरें।

- (a) यदि हाँ = 1, तो कृपया प्रति सप्ताह बिताए गए घंटों की संख्या भरें।

### Section 3: Teaching and Non-Teaching Staff

- 3.1 Number of Non-teaching/administrative and Support staff in- position  
विद्यालय में कार्यरत गैर शैक्षिक/प्रशासनिक व सहायक स्टाफ की जानकारी बिंदु में दिये गये पदानुसार दें।
- 3.2 Number of Teaching Staff in Position/विद्यालय में कार्यरत शैक्षिकीय स्टाफ के पदस्थ कर्मचारियों की संख्या

Teaching Staff in-position		Total Number Teachers
A	Teaching Staff (Regular Teacher) with Head	
B	Teaching Staff (Contract Teacher/Guest/ Re-employment)	
C	SSA के तहत लगे Part Time Instructor	
	Total Teachers (कुल शिक्षकों की संख्या) (A+B+C)	
D	Teachers having Aadhaar (कुल शिक्षकों में से आधार संख्या पंजीकृत शिक्षकों की संख्या)	

(प्राथमिक स्कूल / मिडल स्कूल/हाई स्कूल / सीनियर सैकेण्ड्री स्कूल में कार्यरत सभी JBT व मुख्य शिक्षक /अध्यापक, Ele.Head, प्राध्यापक, मुख्याध्यापक व प्राचार्य सहित की संख्या पंक्ति A में भरे। कॉन्ट्रैक्ट शिक्षक (Guest), Computer Teacher (ICT) व Re-employment के तहत लगे सभी शिक्षकों की संख्या पंक्ति B में भरे। SSA के तहत लगे Part Time Instructor की संख्या पंक्ति C में भरे तथा कृपया पंक्ति D में आधार संख्या पंजीकृत शिक्षकों की संख्या भरे।

कृपया 3.2 में NSQF के तहत Vocational Teachers की संख्या न भरे। Vocational Teachers का विवरण Table 9.8 में भरे।

### 3.3 Teachers and Instructors (Including Head Teacher) (शिक्षक और अशंकालीन शिक्षक)

#### ब्लॉक लेटर्स (Capital Letters) का प्रयोग करें

भाग 3 के बिंदु 3.2 A, B & C में शिक्षकों व मुखिया सहित कार्यरत कुल शिक्षकों की संख्या भरी है। सारणी 3.3 में उतने ही शिक्षकों का विवरण भरे। सभी कॉलम अवश्य भरे।

- 1 **शिक्षक कोड (Teacher Code):** विभाग द्वारा जारी शिक्षक कोड (ID) भरे। राजकीय विद्यालयों में सभी शिक्षकों व मुखियों को विभाग द्वारा ID No दिया गया है वह भरे। Private Schools में उपलब्ध न होने पर कुछ न भरे।
- 2 **शिक्षक का नाम (Name):** Official Record में जिस प्रकार दिया गया हो उसके अनुसार शिक्षक का पूरा नाम लिखिए।
- 3 **लिंग (Gender):** पुरुष के लिए '1', महिला के लिए '2' तथा ट्रांसजेंडर के लिए 3 अंकित कीजिए।
- 4 **जन्म तिथि (DOB):** अधिकारिक अभिलेखों के अनुसार जन्म तिथि (DD/MM/YY) अंकित कीजिए।
- 5 **शिक्षक जाति (Social Category):** सामान्य (General)=1, अनु. जाति (SC) = 2, अनु. जन. जाति (ST) =3, अन्य पिछड़ा वर्ग (BC/OBC) = 4, Other Reserve Category (ORC)=5, अन्य = 6
- 6 **शिक्षक का प्रकार (Type of Teacher):** मुख्याध्यापक=1, प्रभारी-मुख्याध्यापक=2, शिक्षक (Teacher)= 3, Part Time Instructor (कक्षा 6 से 8 के लिये SSA के तहत)=5, प्राचार्य=6, प्रभारी-प्राचार्य=7 व प्राध्यापक=8, Middle Head =10

- मुख्याध्यापक: राजकीय विद्यालयों में कार्यरत मुख्याध्यापक कोड = 1, प्राचार्य कोड = 6 व मिडल हैड के लिए कोड 10 अंकित कीजिए।
- कार्यवाहक प्राचार्य/मुख्याध्यापक: राजकीय विद्यालयों में यदि प्राचार्य न होने पर कार्यरत प्राध्यापक प्रभारी-प्राचार्य कोड- 7 व मुख्याध्यापक का पद रिक्त है तो उसके स्थान पर कार्यरत प्रभारी- मुख्याध्यापक अपने नाम के सामने कोड -2 भरे। प्राईवेट स्कूल भी इसी प्रकार भरे।
- शिक्षक : सभी JBT, Master, C&V, P.TI, & DPE कोड 3 भरे व Lecturer/PGT प्राध्यापक कोड - 8 भरे।
- SSA के तहत लगे अशंकालीन अध्यापक (Part Time Instructor): यदि विद्यालय में अशंकालीन अध्यापक (Part Time Instructor under SSA) SSA के तहत लगे हों तो उसके लिए कोड 5 भरे।

**टिप्पणी:** मुखिया व सभी अध्यापक/प्राध्यापक उपरोक्त मद 1 से 10 के किसी न किसी मद के अन्तर्गत आते हैं। इसलिये वे जिस मद में आते हैं उस मद का सही कोड अध्यापक वर्गीकरण सारणी 3.3 में अंकित करें।

- 7 **नियुक्ति की प्रकृति (Nature of appointment):** नियमित (Regular) = 1, कॉन्ट्रैक्ट (Contract/Guest/ राजकीय स्कूलों में Re-employment के तहत लगे कॉन्ट्रैक्ट शिक्षक)= 2, अशंकालीन शिक्षक (Part- Time) = 3.
- 8 **कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक (Date of Joining in service):** अध्यापन सेवा में कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक अंकित कीजिए। शिक्षा विभाग में अध्यापन कार्य करने के लिए जिस पद पर भी सबसे पहले लगे हो वह दिनांक भरे।

पंक्ति 9 एवं 21 से 25 में प्रविष्टि हेतु:

10th से कम = 1, हाई स्कूल (10th) = 2, सीनियर सैकेण्ड्री (10+2) = 3, स्नातक (Graduate) = 4, स्नातकोत्तर (Post Graduate) = 5, एम.फिल (M. Phil)= 6, पी.एच.डी. (P. hd) = 7, Post Doctoral= 8

**Note:-** किसी भी सरकारी शिक्षक की शैक्षणिक योग्यता बिंदु 9 में 10 वीं से कम व बिंदु 21 से 25 में पूछे जाने वाले विषय i.e. गणित, विज्ञान, अंग्रेजी, भाषा अनुसूची आठवीं और सामाजिक विज्ञान का अध्ययन 10 वीं से कम कक्षा तक किया होने की संभावना बहुत कम है, इसलिए कृपया बिंदु 9, 21 से 25 के लिए कोड 1 का उपयोग सावधानी से किया जाना चाहिए।

- 10 **उच्चतम पेशेवर योग्यता (Highest Professional Qualification):** D.Ed./JBT (कम से कम दो वर्षों का डिप्लोमा या सर्टिफिकेट) या समकक्ष = 1, प्रारंभिक शिक्षा में स्नातक (Bachelor Ele. Ed.) समकक्ष = 2, B. Ed.या समकक्ष = 3, M. Ed.या समकक्ष = 4, अन्य =5, कोई नहीं = 6, डिप्लोमा या डिग्री (In Special Education)= 7 वर्तमान में किसी भी समकक्ष व्यवसायिक पाठ्यक्रम में प्रवेश ले रखा हो = 8.
- 11 **किन कक्षाओं को पढ़ाते हैं (Classes Taught):** केवल प्राथमिक (कक्षा 1 से 5) = 1, केवल माध्यमिक (कक्षा 6 से 8) = 2, प्राथमिक (कक्षा 1 से 5) व माध्यमिक (कक्षा 6 से 8) =3, केवल हाई स्कूल (कक्षा 9 से 10) = 5, केवल



सीनियर सैकेण्ड्री (कक्षा 11 से 12) = 6, माध्यमिक (कक्षा 6 से 8) व हाई स्कूल (कक्षा 9 से 10) = 7, हाई स्कूल (कक्षा 9 से 10) व सीनियर सैकेण्ड्री (कक्षा 11 से 12 = 8) केवल पूर्व-प्राथमिक (LKG & UKG)= 10, पूर्व-प्राथमिक व प्राथमिक (कक्षा 1 से 5) = 11.

**टिप्पणी –(i) राजकीय प्राथमिक स्कूल** के शिक्षक कोड-1, **मिडल स्कूल** के सभी शिक्षक जो कक्षा (6-8) पढ़ाते हैं कोड 2 भरें।

- **राजकीय हाई स्कूल** के सभी अध्यापक व मुखिया कक्षा 6 से 10 पढ़ा रहें हैं सभी अध्यापक माध्यमिक (कक्षा 6 से 8) व हाई स्कूल(कक्षा 9 से 10)=7 कोड भरें। मुख्याध्यापक कोड 7, Middle Head व प्राध्यापक स्थितिनुसार जिन कक्षाओं को पढ़ा रहें हैं उनका उचित कोड भरें।
- **राजकीय सीनियर सैकेण्ड्री स्कूल** के सभी अध्यापक/प्राध्यापक जो कक्षा 6 से 10 में जिस कक्षा समूह को पढ़ा रहे हैं उसका उचित कोड भरें। Private School के शिक्षक व मुखिया जिन कक्षाओं या कक्षा समूहों को पढ़ा रहें हों, उन कक्षाओं का बिंदु न0 11 में उचित कोड भरें।

**पंक्ति 12, 13 एवं 14 में प्रविष्टि हेतु:**

All subjects = 1, Mathematics = 3, Environment studies = 4, Sports = 5, Music = 6, Science = 7, Social studies = 8, Accountancy=10, Biology = 11, Business Studies = 12, Chemistry = 13, Computer Science = 14, Economics = 15, Engineering Drawing = 16, Fine Arts=17, Geography = 18, History = 19, Home Science = 20, Philosophy = 21, Physics = 22, Political Science = 23, Psychology =24, Foreign, Language = 25, Botany = 26, Zoology = 27, Hindi = 41, Sanskrit = 43, Urdu = 45, English = 46, Regional Language = 47 Art education = 91, Health & physical education = 92, Work education = 93, Other Subjects= 99.

- (12) **विषय के लिए नियुक्त (Appointed for subject):** सामाजिक अध्ययन शिक्षक (कोड 8 भरें), हिन्दी शिक्षक (कोड 41 भरें), संस्कृत शिक्षक (कोड 43 भरें), उर्दू शिक्षक (कोड 45 भरें), English शिक्षक (कोड 46 भरें), पंजाबी शिक्षक (कोड 47 भरें) व अगर शिक्षक एक से अधिक भाषा सिखा रहा है (कोड 2 भरें)। Agriculture, Marketing & Salesmanship, OSS English, OSS Hindi, Public Administration तथा Sociology शिक्षक (कोड 99 भरें), DPE & PTI (कोड 5 भरें), Commerce शिक्षक (कोड 12 भरें), Drawing शिक्षक (कोड 91 भरें), Physical Education (PGT) शिक्षक (कोड 92 भरें) तथा Cutting & Tailoring शिक्षक (कोड 93 भरें)। अन्य शिक्षकों की नियुक्ति जिस विषय को पढ़ाने के लिए हुई है वे बिन्दु 12 से विषय का उचित कोड भरें।

- (13 & 14) **मुख्यतः किन विषयों 1 & 2 को पढ़ाते हैं (Main Subject Taught 1 & 2):**—दिये गये विकल्पों में से पढ़ाये जाने वाले विषय का कोड भरें। यदि शिक्षक एक साथ दो विषय पढ़ा रहा है तो दोनों विषयों का कोड भरें। जैसे विज्ञान अध्यापक विज्ञान के साथ गणित विषय पढ़ा रहा है तो दोनो विषयों का कोड 7 व 3 भरें। S.S.Master- सामाजिक अध्ययन के साथ अंग्रेजी विषय पढ़ा रहें हैं अतः दोनो विषयों का कोड 8 व 46 भरें।

- (15 से 18) **पिछले शैक्षिक वर्ष में प्राप्त सेवारत प्रशिक्षण के कुल दिवस (BRC, CRC, DIET & Others):** परिषद् व विभाग के अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष अध्यापकों को खण्ड स्तर पर प्रशिक्षण दिया जाने का प्रावधान है साथ ही अध्यापक संकुल संसाधन केन्द्र (CRC) पर अध्यापक विस्तारित प्रशिक्षण (ई.टी.टी.) में भी भाग लेते हैं। कुछ अध्यापक इन स्थानों के अतिरिक्त अन्य संस्थान जैसे SCERT आदि में प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। उपरोक्त सभी स्थानों पर पिछले वर्ष कितने-कितने दिन प्रशिक्षण लिया है, दिनों की संख्या उपयुक्त कॉलम में अंकित करें।

19a **प्रशिक्षण प्राप्त किया (Training Received):** यदि शिक्षक को कोई प्रशिक्षण प्राप्त हुआ है तो कृपया प्राप्त प्रशिक्षण के प्रकार के लिए दिये गये बिंदुओं में से उचित कोड भरें।

19b **प्रशिक्षण की आवश्यकता (Training Need):** अध्यापक को पढ़ाते समय यदि विषय वस्तु को पढ़ाने में कठिनाई या पढ़ाने की नयी विद्याओं को सीखने या स्वयं की क्षमता विकास हेतु प्रशिक्षण की आवश्यकता हो तो दिये गये बिंदुओं में से उचित कोड भरें।

Subject knowledge = 1; Pedagogical issues = 2; ICT Skills = 3; Knowledge and skills to engage with CWSN = 4; Leadership and management skills = 5, Sanitation & Hygiene =6, Others=7, Not required=8 (पंक्ति 19a एवं 19b में प्रविष्टि हेतु)

- 20 **गैर-शैक्षणिक कार्यों पर बिताए गये कार्य दिवसों की संख्या (No. of working days spent on non teaching assignments):** शिक्षक, शिक्षा विभाग तथा अन्य विभागों के सरकारी कार्य (गैर शैक्षणिक) को सम्पन्न करने के लिए गैर-शैक्षणिक दायित्वों के निर्वहन हेतु कार्य करते हैं। इनमें से कुछ कार्य ऐसे कार्य दिवसों के समय सम्पन्न किये जाते हैं, जब विद्यालय खुला होता है। पिछले शैक्षिक सत्र के दौरान गैर-शैक्षणिक सरकारी कार्य पर व्यतीत किये गये दिवसों की संख्या का उल्लेख कीजिए। कृपया सेवारत प्रशिक्षण (In Service Training), Exam Duty, Marking Duty, Monthly Meeting जिनमें अध्यापक ने भाग लिया हो, के दिवसों की संख्या को इसमें सम्मिलित न कीजिए। गैर-शैक्षणिक कार्यों में व्यतीत किये गये दिवसों के दौरान अवकाश आते हैं उन दिनों को घटा दिया जाना चाहिए।

- 21 किस उच्च श्रेणी तक गणित का अध्ययन किया है (Maths studied upto): बिंदु 9 में दी शैक्षिक (Academic) योग्यताओं में से उचित कोड भरें।
- 22 किस उच्च श्रेणी तक विज्ञान का अध्ययन किया है (Science studied upto): बिंदु 9 में दी शैक्षिक (Academic) योग्यताओं में से उचित कोड भरें।
- 23 किस उच्च श्रेणी तक अंग्रेजी का अध्ययन किया है (English studied upto): बिंदु 9 में दी शैक्षिक (Academic) योग्यताओं में से उचित कोड भरें।
- 24 भाषा (अनुसूची आठवीं के अनुसार) का जिस उच्च श्रेणी तक अध्ययन किया है (Language (as per schedule VIII) studied upto): कृपया उच्चतम शिक्षा का स्तर बिंदु 9 में दी शैक्षिक (Academic) योग्यताओं में से उचित कोड भरें जिस तक शिक्षक ने भारतीय संविधान की अनुसूची आठवीं में दिए गए 22 भाषाओं i.e. Assamese, Bodo, Dogri, Gujarati, Hindi, Kannada, Kashmiri, Konkani, Maithili, Malayalam, Manipuri, Marathi, Nepali, Oriya, Punjabi, Sanskrit, Santali, Sindhi, Tamil, Telugu and Urdu में से किसी एक भाषा का अध्ययन किया है।
- 25 किस उच्च श्रेणी तक सामाजिक अध्ययन का अध्ययन किया है (Social Studies studied upto): बिंदु 9 में दी शैक्षिक (Academic) योग्यताओं में से उचित कोड भरें।
- 26 वर्तमान विद्यालय में नियुक्ति का वर्ष (Working in Present School Since (Year)): इस मद में अध्यापक के वर्तमान विद्यालय में नियुक्ति का केवल वर्ष दर्शाना है।
- 27 विकलांगता का प्रकार (Type of Disability if any) —लगू नहीं (NA) = 1, अस्थि संबंधी विकलांगता (Locomotor) = 2, दृष्टि बाधित (Visual) = 3, अन्य (Others) = 4, मूक बधिर (Heading Impaired)=5
- 28 CWSN को पढ़ाने में प्रशिक्षित (Trained for teaching CWSN): यदि विद्यालय में अध्यापक CWSN बच्चों को पढ़ाने में प्रशिक्षित है तो '1' अंकित करें अन्यथा '2' अंकित करें।
- 29 कम्प्यूटर का प्रयोग व कम्प्यूटर की सहायता से विषय पढ़ाने में प्रशिक्षित (Trained in use of computer & teaching through computer): यदि अध्यापक कम्प्यूटर का प्रयोग व कम्प्यूटर की सहायता से विषय पढ़ाने में प्रशिक्षित तो '1' अंकित करें अन्यथा '2' अंकित करें।
- (30.व 31.) विद्यालय में कार्यरत शैक्षिक स्टाफ का व्यक्तिगत मोबाइल नं० व e-mail address भरें। यह जानकारी केवल विभागीय उपयोग हेतु है।

#### Section 4: New Admissions, Enrolment and Repeaters

- 4.1.1 पूर्व प्राथमिक कक्षाओं (पहली कक्षा से तत्काल नीचे की दो कक्षाओं) LKG व UKG में वर्ष 2019–20 में कुल नामांकन की जानकारी दी जानी है।
- 4.1.2 कक्षा 1<sup>वा</sup> में नवप्रवेशी बच्चों की जानकारी (वर्ष 2019–20): सारणी में कक्षा प्रथम में वर्ष 2019–20 में, नये दाखिला लेने वाले बच्चों की ही जानकारी दी जानी है जिन बच्चों ने वर्ष 2018-19 में कक्षा प्रथम में दाखिला लिया व किसी कारण से वर्ष 2019-20 में भी कक्षा प्रथम में ही पढ़ रहे हैं रिपीटर्स हैं उन बच्चों की जानकारी यहां न दी जाये।
- आयु:** कक्षा प्रथम में केवल नये दाखिला लेने वाले बच्चों की पूर्ण आयु की गणना 01.04.2019 के आधार पर सारणी 4.3 में बताये अनुसार करें।
- अंतिम 3 कॉलम में उन बच्चों की संख्या भरें जिनको कक्षा 1 में प्रवेश लेने से पहले गत वर्ष पूर्व प्राथमिक जैसे नर्सरी/यूके0जी/आंगनवाड़ी/ECCE Centre में पढ़ रहे थे।
- कक्षा प्रथम के कुल बच्चों में से उन बच्चों की संख्या जो गत वर्ष इसी विद्यालय की पूर्व प्राथमिक (नर्सरी/यूके0जी) कक्षा में पढ़ते थे।
  - कक्षा प्रथम के कुल बच्चों में से उन बच्चों की संख्या जो गत वर्ष अन्य दूसरे विद्यालय की नर्सरी कक्षा में पढ़ते थे।
  - कक्षा प्रथम के कुल बच्चों में से उन बच्चों की संख्या जो गत वर्ष आंगनवाड़ी केन्द्र में कहीं भी पढ़ते थे।
  - यदि सभी प्रथम कक्षा के बच्चों को पूर्व प्राथमिक जैसे नर्सरी/यूके जी/ आंगनवाड़ी में पढ़ने का अनुभव है तो तीनों भागों का जोड़ कुल बच्चों के बराबर होना चाहिए। यदि पूर्व प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ने का अनुभव नहीं है तो जोड़ कुल बच्चों के बराबर नहीं होगा।
- 4.2 नामांकन (Enrolment in current academic session (by social category) as on 30.09.2019
- 4.2 (a): 30 सितम्बर, 2019 को उपस्थिति पंजिका (हाजरी रजिस्टर) में अंकित बच्चों की संख्या जिनमें सामान्य, अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्ग के बच्चे सम्मिलित है कि संख्या सारणी में कक्षानुसार उपयुक्त स्थान पर अंकित करें।
- पूर्व प्राथमिक कक्षाओं का नामांकन:** अगर विद्यालय में पूर्व प्राथमिक (पहली कक्षा से तत्काल नीचे की दो कक्षाओं) LKG+UKG के छात्रों का योग प्रदान किया जाएगा और 4.1.1 में दिए गए नामांकन के बराबर होना चाहिए) शिक्षा अनुभाग संचालित है तो कुल नामांकन बालक/बालिका वार अंकित किया जाएगा।

(A) सामान्य विद्यार्थी (General): सामान्य श्रेणी के विद्यार्थी (बालक/बालिका) इस श्रेणी के छात्रों में सम्मिलित हैं।

- (B) **अनुसूचित जाति के छात्र (SC):** शासकीय आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों के छात्र/छात्राओं को इस श्रेणी में सम्मिलित किया गया है ।
- (C) **अनुसूचित जनजाति के छात्र (ST):** हरियाणा राज्य में ST के बच्चों नहीं हैं अतः यहाँ कुछ न भरें।
- (D) **पिछड़े वर्गों के छात्र (BC):** शासकीय आदेशों के अनुसार पिछड़े वर्गों के (BC-A & BC-B) छात्र/छात्राओं को इस श्रेणी में सम्मिलित करें।
- (E) **कुल (Total):** उपरोक्त तीनों श्रेणियों A, B, D का योग करके भरें।

**4.2 (b): Enrolment of Minority Category (धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय) की जानकारी:** उपरोक्त 4.2 (a) में प्रदान किए गए कुल नामांकन में से अल्पसंख्यक श्रेणियों अर्थात् मुस्लिम, ईसाई, सिख, बुद्ध, पारसी, जैन और अन्य के लिए नामांकन भरें।

**4.2(c): Having Aadhar, BPL and Non-SC BPL:** उपरोक्त 4.2 (a) में प्रदान किए गए कुल नामांकन में से, कितने छात्रों का आधार है, कितने छात्र गरीबी रेखा से नीचे हैं व कितने छात्र Non-SC BPL हैं, 4.2 (c) में भरें जाएंगे। BPL से तत्काल नीचे की पंक्ति में Non-SC BPL की संख्या दी जानी है। Non-SC BPL में केवल सामान्य (General) व पिछड़ा वर्ग (BC 'A' + BC 'B') के BPL बच्चों की संख्या दी जानी है। यहां पर अनुसूचित जाति (SC) के BPL बच्चों की संख्या नहीं दी जानी है।

**4.2 (d): Enrolment of Transgender (ट्रांसजेंडर का नामांकन):** ट्रांसजेंडर को 4.2 (a) में लड़के या लड़कियों में भी जोड़कर दिखाया जायेगा क्योंकि ट्रांसजेंडर के लिए 4.2 (a) कॉलम में नहीं है। उपरोक्त 4.2 (a) में प्रदान किए गए कुल नामांकन में से, कितने छात्र ट्रांसजेंडर हैं, वे 4.2 (d) की पंक्ति में संख्या दोबारा दी जानी है।

**4.3 : Enrolment by Age (आयु अनुसार नामांकन) (Age as on 1st April 2019):**

- i) सारणी 4.2 (a) में दिखाए कक्षा 1 से 12 तक (पूर्व प्राथमिक को छोड़कर) के कुल बच्चों को सारणी 4.3 में आयु वर्ग (Age Group) के अनुसार दिखाया जाना है। अतः सारणी 4.2(a) में कक्षा 1 से 12 तक (पूर्व प्राथमिक कक्षा को छोड़कर) सभी कक्षाओं का योग सारणी 4.3 में कक्षाओं के योग के बराबर होना चाहिए।
- ii) आयु की गणना Admission withdrawal में अंकित जन्म तिथि को Class Attendance Register में लिखने के बाद 01.04.2019 को छात्रों की उम्र की गणना निम्न सारणी की सहायता से की जानी चाहिए।

1st Jan to 1st April	2nd April to 31 Dec.	Age	I		II		III		IV		V		VI		VII		VIII	
'A'	'B'	'C'	B	G	B	G	B	G	B	G	B	G	B	G	B	G	B	G
2015	2014	<5																
2014	2013	5																
2013	2012	6																
2012	2011	7																
2011	2010	8																
2010	2009	9																
2009	2008	10																
2008	2007	11																
2007	2006	12																
2006	2005	13																
2005	2004	14																
2004	2003	15																
2003	2002	16																
2002	2001	17																
2001	2000	18																
2000	1999	19																
1999	1998	20																
1998	1997	21																
1997	1996	22																
1996	1995	>22																
<b>Total</b>																		

**1<sup>st</sup> अप्रैल 2019** को बच्चे के पूर्ण हुए वर्षों के आधार पर प्रत्येक बच्चे की वर्तमान उम्र की गणना करें। बच्चे का जन्म **1<sup>st</sup> Jan. to 1<sup>st</sup> April** या **2nd April to 31 December** के मध्य होगा। उदाहरण के लिये बच्चे का जन्म **12.03.2003** है अथवा बच्चे का जन्म **1<sup>st</sup> Jan to 1st April** के मध्य का है इसलिए बच्चे की आयु पूर्ण वर्ष ज्ञात करने के लिए टेबल के कॉलम 'A' में बच्चे के जन्म का वर्ष **2003** देखें व इसके सामने कॉलम 'C' में **16** वर्ष है। अतः बच्चे की पूर्ण आयु **16** वर्ष है। अगर बच्चे की जन्म तिथि **12.9.2003** है अथवा जन्म **2nd April to 31st December** के मध्य का

है। यहां आयु पूर्ण वर्ष देखने के लिए कॉलम 'B' में जन्म का वर्ष 2003 के सामने कॉलम 'C' में देखें। इस बच्चे की उम्र पूर्ण वर्ष 15 है। प्रत्येक बच्चे की आयु जन्म तिथि को देखकर ठीक ढंग से गणना करने के पश्चात् ही सारणी में भरें। **Class Attendance Register** में प्रत्येक बच्चे की आयु पूर्ण वर्ष लिखने के पश्चात् गणना करके **Table 4.3** में कक्षावार बच्चों की संख्या भरें।

**निर्देश-4.3** में अंकित कुल बच्चों की संख्या (पूर्व प्राथमिक को छोड़कर) तालिका 4.2 (a) में अंकित कुल बच्चों के योग के बराबर रहे।

4.4 वर्तमान शैक्षिक स्तर में नामांकन (शिक्षण के माध्यम के अनुसार/by medium of instruction): कृपया 1.28 में उल्लिखित माध्यमों के लिए कक्षावार नामांकन भरें। विद्यालय में शिक्षण का एक माध्यम हो तो सारणी में कुल नामांकन भरें। यदि शिक्षण के माध्यम एक से अधिक हों तो माध्यम के अनुसार छात्र संख्या भरें। कक्षावार छात्र संख्या का जोड़ 4.2 (a) में अंकित कुल बच्चों के योग के बराबर रहे।

- निर्देश-**
- हिन्दी व अंग्रेजी माध्यम से किसी भी कक्षा या कक्षा समूह में शिक्षण कार्य किया जा रहा हो तो प्रत्येक माध्यम से पढ़ने वाले बच्चों को कक्षावार संख्या अलग-अलग भरें।
  - तालिका 4.4 में अंकित कुल योग छात्र /छात्राओं की संख्या का मिलान तालिका 4.2 (a) में अंकित कुल दर्ज संख्या छात्र /छात्राओं की संख्या से करें।
  - यदि विद्यालय में विज्ञान स्ट्रीम है तो अंग्रेजी माध्यम में नामांकन शून्य होने की संभावना बहुत कम है। कृपया इसे ध्यान से भरें।

4.5 ग्रेड के अनुसार रिपीटर्स (सामाजिक श्रेणी द्वारा)/Repeaters by grade (by Social Category): उपरोक्त 4.2 (a) में से रिपीटर्स बच्चों की संख्या सामाजिक श्रेणी व अल्पसंख्यक श्रेणियों के अनुसार रिपीटर्स की संख्या दी जानी है।

4.6 **Enrolment by grade for Children with Special Needs (विशेष आवश्यकता वाले बच्चे) 30.9.2019 के अनुसार** : इस सारणी में कक्षानुसार विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों की संख्या प्रस्तुत कीजिए जो विभिन्न प्रकार की अक्षमताओं से ग्रस्त हैं। स्कूल खण्ड में कार्यरत Special Teacher की सहायता से CWSN बच्चों की उनकी निःशक्तता के सभी 21 प्रकार के आधार पर पहचान करने के बाद ही सही सूचना सारणी में भरें।

#### **सारणी 4.7 से 4.9 केवल सीनियर सैकेण्ड्री स्कूल के लिए**

4.7 स्कूल में जिन भी संकायों में बच्चें पढ़ रहे की उपलब्धता की स्थिति की जानकारी दें। यदि राजकीय स्कूल में कोई भी stream स्वीकृत है तो हाँ = 1 भरें, स्वीकृत नहीं है तो = 2 भरें। प्राइवेट स्कूल में जो संकाय है उन बारे जानकारी दें। राजकीय स्कूल में Vocational stream स्वीकृत नहीं है। (सीनियर सैकेण्ड्री स्तर की कक्षाओं के लिए)

4.8 **Enrolment and Repeaters by academic stream in Senior Secondary level (by Social Category) वरिष्ठ माध्यमिक स्तर में शैक्षणिक स्ट्रीम द्वारा नामांकन और रिपीटर्स (सामाजिक श्रेणी द्वारा वर्ष 2019-20)** विद्यालय में कक्षा 11 व 12 में Arts, Science and Commerce जो भी stream चल रही है उस में पढ़ने वाले सभी बच्चों का stream अनुसार योग 30.09.2019 के अनुसार जातिवार छात्र संख्या व रिपीटर्स (रिपीटर्स से आशय ऐसे बच्चों से है जो 2018-19 में जिस कक्षा में थे उन्होंने 2018-19 में फेल होने या अन्य कारण से पुनः उसी कक्षा में पुनः प्रवेश लिया हो) संख्या सारणी में भरें। 4.8 में भरा गया जातिवार नामांकन 11 वीं से 12 वीं कक्षा के लिए 4.2 (a) में भरें गए जातिवार नामांकन के बराबर होना चाहिए और 4.8 में भरी गई जाति वार रिपीटर्स 11वीं से 12वीं कक्षा के लिए 4.5 में भरे गए जाति वार रिपीटर्स के बराबर होनी चाहिए।

4.9 **Enrolment and Repeaters by academic stream (by Minority Groups)/शैक्षणिक स्ट्रीम द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय के लिए नामांकन और रिपीटर्स वर्ष 2019-20):** विद्यालय में कक्षा 11 व 12 में Arts, Science and Commerce जो भी stream चल रही है उस में पढ़ने वाले अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों का stream अनुसार 30.09.2019 के अनुसार छात्र संख्या व रिपीटर्स (रिपीटर्स से आशय ऐसे बच्चों से है जो 2017-18 में जिस कक्षा में थे उन्होंने 2018-19 में फेल होने या अन्य कारण से पुनः उसी कक्षा में पुनः प्रवेश लिया हो) संख्या सारणी में भरें। 4.9 में भरे गए अल्पसंख्यक श्रेणी वार रिपीटर्स की कुल संख्या 11 वीं से 12 वीं तक के लिए 4.5 में भरे गए अल्पसंख्यक श्रेणी के रिपीटर्स के बराबर होनी चाहिए।

**Note:** - किसी भी राजकीय स्कूल में व्यावसायिक (Vocational Stream) संकाय नहीं चल रही है।

### **Section 5: Incentives and facilities provided to children (For Govt. and Govt. Aided Schools only)**

- 5.1 प्रोत्साहन (गत शैक्षिक वर्ष 2018-19) केवल प्री -प्राइमरी (LKG & UKG) व प्राथमिक कक्षाओं (कक्षा 1 से 5) के लिए। प्राथमिक कक्षाओं के अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों, सामान्य श्रेणी तथा मुस्लिम वर्ग व अन्य अल्पसंख्यक समुदाय (मुस्लिम को छोड़कर) के विद्यार्थियों के सम्बन्ध में सूचना की प्रविष्टि की जानी है।

- (1) **निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें** : पिछले शैक्षिक वर्ष में विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराई गई थीं उनकी संख्या यहाँ अंकित की जानी है।
  - (2) **निःशुल्क विद्यालय वर्दी** : पिछले शैक्षिक वर्ष में जिन छात्रों को सरकार द्वारा विद्यालय वर्दी दी गई है। उनकी संख्या अंकित की जानी चाहिए।
  - (3) **निःशुल्क परिवहन सुविधा** : यदि पिछले शैक्षिक वर्ष में जिन छात्रों को सरकार द्वारा स्कूल जाने के लिए विशेष परिवहन सुविधा दी गई है। उनकी संख्या अंकित की जानी चाहिए।
  - (4) **निःशुल्क एस्कॉर्ट सुविधा** : यदि पिछले शैक्षिक वर्ष में जिन छात्रों को सरकार द्वारा CWSN बच्चों के स्कूल जाने के लिए विशेष एस्कॉर्ट सुविधा दी गई है। उनकी संख्या अंकित की जानी चाहिए।
  - (5) **निःशुल्क साईकिल**: यदि पिछले शैक्षिक वर्ष में जिन छात्रों को सरकार द्वारा स्कूल जाने के लिए निःशुल्क साईकिल दी गई है। उनकी संख्या अंकित की जानी चाहिए।
- 5.2 **प्रोत्साहन (गत शैक्षिक वर्ष 2018-19) केवल प्राथमिक कक्षाओं (कक्षा 6 से 8) के लिए।**  
प्राथमिक कक्षाओं के अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों, सामान्य श्रेणी तथा मुस्लिम वर्ग व अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों के सम्बन्ध में सूचना की प्रविष्टि की जानी है।
- (1) **निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें** : पिछले शैक्षिक वर्ष में विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराई गई थीं उनकी संख्या यहाँ अंकित की जानी है।
  - (2) **निःशुल्क विद्यालय वर्दी** : पिछले शैक्षिक वर्ष में जिन छात्रों को सरकार द्वारा विद्यालय वर्दी दी गई है। उनकी संख्या अंकित की जानी चाहिए।
  - (3) **निःशुल्क परिवहन सुविधा** : यदि पिछले शैक्षिक वर्ष में जिन छात्रों को सरकार द्वारा स्कूल जाने के लिए विशेष परिवहन सुविधा दी गई है। उनकी संख्या अंकित की जानी चाहिए।
  - (4) **निःशुल्क एस्कॉर्ट सुविधा** : यदि पिछले शैक्षिक वर्ष में जिन छात्रों को सरकार द्वारा CWSN बच्चों के स्कूल जाने के लिए विशेष एस्कॉर्ट सुविधा दी गई है। उनकी संख्या अंकित की जानी चाहिए।
  - (5) **निःशुल्क साईकिल**: यदि पिछले शैक्षिक वर्ष में जिन छात्रों को सरकार द्वारा स्कूल जाने के लिए निःशुल्क साईकिल दी गई है। उनकी संख्या अंकित की जानी चाहिए।
- 5.3 **पिछले शैक्षिक वर्ष (2018-19) में CWSN को प्राप्त सुविधा:** इस सारणी में विकलांग बच्चों को जो सुविधाएँ दिलवाई गईं उन का ब्योरा दें।
- Note:-** प्री-प्राइमरी का मतलब है पहली कक्षा से तत्काल नीचे की दो कक्षाएँ।

## **Section 6: Annual Examination Result at Elementary Level (कक्षा 5वीं व कक्षा 8 वीं का परीक्षा परिणाम)**

- 6.1 **वर्ष 2018-19 में कक्षा 5 वीं का परीक्षा परिणाम (Annual Examination Result in Previous Year for Grade V)**  
कक्षा 5वीं की वर्ष 2018-19 की वार्षिक परीक्षा देने वाले बच्चों व उनमें से केवल पास होने वाले बच्चों की संख्या जातिवार भरे व 60% या 60% से अधिक अंक से उत्तीर्ण बच्चों की संख्या अंकित करें।
- 6.2 **वर्ष 2018-19 में कक्षा 8 वीं का परीक्षा परिणाम:** कक्षा 8वीं की वर्ष 2018-19 की वार्षिक परीक्षा देने वाले बच्चों व केवल पास होने वाले बच्चों की संख्या जातिवार भरे व 60% या 60% से अधिक अंक से उत्तीर्ण बच्चों की संख्या अंकित करें।

## **Section 7: Board Examination Result (10वीं व 12वीं का बोर्ड परीक्षा परिणाम 2018-19)**

- 7.1(a) **वर्ष 2018-19 में कक्षा 10वीं का बोर्ड परीक्षा परिणाम:** कक्षा 10 की वर्ष 2018-19 की बोर्ड की परीक्षा देने वाले नियमित (Regular) बच्चों व केवल पास होने वाले बच्चों की संख्या जातिवार भरे।
- 7.1(b) **स्कूल में कोई अनियमित छात्र (Other than regular student) मौजूद नहीं है यदि तालिका UDISE+ DCF में Table 7.1 (b) दी गई है तो कृपया इसे खाली छोड़े।**
- 7.2 **वर्ष 2018-19 में कक्षा 10वीं उत्तीर्ण नियमित (Regular) छात्रों की प्राप्तांकों के प्रतिशत अनुसार संख्या:** बिंदु 7.2 में दर्ज कुल जातिवार 10वीं के पास बच्चों की कुल संख्या व बिंदु 7.1 (a) में दर्ज जातिवार पास बच्चों के range of marks में दी कुल संख्या बराबर रहे।
- चेक:** सारणी 7.1(a) में SC, BC or General के पास बच्चे 7.2 में Range of Marks के SC, BC or General के कुल बच्चों बराबर हों।
- 7.3 **स्कूल में कोई अनियमित छात्र (Other than regular student) मौजूद नहीं है यदि तालिका UDISE DCF में Table 7.3 दी गई है तो कृपया इसे खाली छोड़े।**
- 7.4 **वर्ष 2018-19 में कक्षा 12वीं का नियमित छात्रों का संकायवार बोर्ड परीक्षा परिणाम:** सारणी 7.4 कक्षा 12 की वर्ष 2017-18 की बोर्ड की Arts, Science and Commerce के परीक्षा देने वाले बच्चों व केवल पास होने वाले बच्चों की संख्या जातिवार भरे।
- 7.5 **स्कूल में कोई अनियमित छात्र (Other than regular student) मौजूद नहीं है यदि तालिका UDISE DCF में Table 7.5 दी गई है तो कृपया इसे खाली छोड़े।**
- 7.6 **कक्षा 12 के Arts, Science and Commerce के सारणी में दर्ज 7.4 पास बच्चे, सारणी 7.6 में Range of Marks के अनुसार जातिवार छात्रों की संख्या भरे।**

चैक:- सारणी 7.4 में Arts, Science and Commerce के SC, BC or General के पास बच्चे सारणी 7.6 में Range of Marks के SC, BC or General के कुल बच्चों बराबर हो।

7.7 स्कूल में कोई अनियमित छात्र (Other than regular student) मौजूद नहीं है यदि तालिका UDISE DCF में Table 7.7 दी गई है तो कृपया इसे खाली छोड़ें।

### Section 8: Receipts and Expenditure (स्कूल को प्राप्तियां और व्यय)

8.1 वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान स्कूल द्वारा प्राप्त अनुदान और व्यय (सरकारी और सहायता प्राप्त निजी स्कूलों के लिए):

- (a) संयुक्त स्कूल अनुदान (Composite School Grant) : इस स्तम्भ में गत वर्ष में समग्र शिक्षा के अन्तर्गत संयुक्त स्कूल अनुदान इस बिंदु में भरा जाएगा। M.H.R.D. समग्र शिक्षा के नए दिशानिर्देशों के अनुसार स्कूल के कुल नामांकन के आधार पर विद्यालय अनुदान राशि को मंजूरी देता है और इसे वर्ष 2019-20 के लिए शिक्षा विभाग के सभी स्कूलों में वितरित किया गया है।

Enrolment range	Prescribed Grant as per enrolment
Enrolment 1 to 15	Rs. 12,500/-
16 to 100	Rs. 25,000/-
101 to 250	Rs. 50,000/-
251 to 1000	Rs. 75,000/-
Above 1000	Rs. 1,00,000/-

**Note:-** इस श्रेणी के अन्तर्गत शिक्षक अनुदान (TLM) के रूप में दी गई रु 500/- की धनराशि की प्रविष्टि नहीं की जानी चाहिए।

- (b) पुस्तकालय अनुदान (Library Grant): यदि समग्र शिक्षा के तहत पुस्तकालय के लिए कोई अनुदान प्राप्त हुआ है, तो कृपया प्राप्त राशि और व्यय भरें।
- (c) खेल और शारीरिक शिक्षा के लिए अनुदान (Grant for Sports & Physical Education): यदि समग्र शिक्षा के तहत खेल और शारीरिक शिक्षा के लिए कोई अनुदान प्राप्त हुआ है, तो कृपया प्राप्त राशि और व्यय भरें।
- (d) मीडिया और सामुदायिक जुटाव के लिए अनुदान (Grant for Media & Community Mobilization): यदि समग्र शिक्षा के तहत मीडिया और सामुदायिक जुटाव के लिए कोई अनुदान प्राप्त हुआ है, तो कृपया प्राप्त राशि और व्यय भरें।
- (e) एसएमसी / एसएमडीसी के प्रशिक्षण के लिए अनुदान (Grant for Training of SMC/SMDC): यदि समग्र शिक्षा के तहत एसएमसी / एसएमडीसी के प्रशिक्षण के लिए कोई अनुदान प्राप्त हुआ है, तो कृपया प्राप्त राशि और व्यय भरें।
- (f) प्री-स्कूल स्तर पर सहायता के लिए अनुदान (केवल प्राथमिक विद्यालयों / अनुभाग के लिए) (Grant for support at Preschool level) (only for primary schools/sections): यदि समग्र शिक्षा के तहत प्री-स्कूल स्तर पर सहायता के लिए अनुदान (केवल प्राथमिक विद्यालयों / अनुभाग) के लिए कोई अनुदान प्राप्त हुआ है, तो कृपया प्राप्त राशि और व्यय भरें।
- (g) बड़े मरम्मत कार्य के लिए अनुदान (Grant for Major Repair): यदि समग्र शिक्षा के तहत बड़े मरम्मत कार्य के लिए कोई अनुदान प्राप्त हुआ है, तो कृपया प्राप्त राशि और व्यय भरें।

8.2 कृपया समग्र शिक्षा के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए स्कूलों द्वारा प्राप्त वित्तीय सहायता का विवरण प्रदान करें। किसी NGO, PSU, समुदाय या किसी अन्य गैर-सरकारी संगठन से प्राप्त वित्तीय सहायक का विवरण प्रदान करें।

8.3 स्कूल हाँ / नहीं के रूप में जवाब दे कि क्या स्कूल आईसीटी वस्तुओं, खेल उपकरणों और पुस्तकालय के लिए इन्वेंट्री रजिस्टर बनाए हुए है।

### Section-9: Vocational Education under NSQF at Institutional Level

(संस्थानिक स्तर पर एन.एस.क्यू.एफ. के तहत व्यावसायिक शिक्षा):

**Note:-** भाग-9 (Section-9) केवल NSQF के तहत आने वाले राजकीय स्कूलों द्वारा भरा जाएगा। Vocational Education से संबंधित Data Capture Format और सहायता पुस्तिका केवल NSQF के तहत आने वाले स्कूलों को ही वितरित की जाएगी।

## Section 10: Performance Grading Index (PGI) and Other Indicators

(केवल सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल जानकारी भरें)

### 10.1 पीजीआई संकेतक (Performance Grading Index (PGI) Indicators):

10.1.1 आधार के साथ उन शिक्षकों की संख्या या जिनके यूनिट आईडी को किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस में डाला गया है के बारे में जानकारी प्रदान की जाएगी। सभी सरकारी स्कूल शिक्षा निदेशालय के राज्य एमआईएस पोर्टल पर शिक्षकों को डेटा उपलब्ध कराने के लिए निर्देशित किया गया है। तो जिन शिक्षकों का डेटा राज्य एमआईएस पोर्टल पर उपलब्ध कराया गया है उन्हें इस बिंदु पर भरा जाएगा।

10.1.2 क्या स्कूल में इलेक्ट्रॉनिक रूप से छात्र उपस्थिति दर्ज करने के लिए एक प्रणाली है? कृपया केवल हाँ / नहीं भरें।  
**Note:** - माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के MIS पोर्टल में दैनिक आधार पर छात्रों की उपस्थिति ऑनलाइन भरने की सुविधा है। तो, स्कूल को हां = 1 भरना चाहिए।

10.1.3 क्या विद्यालय में शिक्षकों की उपस्थिति इलेक्ट्रॉनिक रूप से दर्ज करने की व्यवस्था है? कृपया केवल हाँ / नहीं भरें।  
**Note:** - जिस स्कूल में शिक्षकों की उपस्थिति की इलेक्ट्रॉनिक बायोमेट्रिक प्रणाली है। वह हां= 1 भरेंगे।

10.1.4 क्या स्कूल का मूल्यांकन पूरा हो गया है? कृपया केवल हाँ / नहीं भरें।

10.1.5 क्या स्कूल का मूल्यांकन के आधार पर सुधार योजना बनाई है? कृपया केवल हाँ / नहीं भरें।

10.1.6 क्या पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम (PFMS) के तहत स्कूल पंजीकृत है? कृपया केवल हाँ / नहीं भरें।

**Note:-** पीजीआई संकेतक बहुत महत्वपूर्ण हैं और इसका उपयोग एम.एच.आर.डी. द्वारा राज्य की रैंकिंग के लिए किया जाएगा। कृपया इसे बहुत ध्यान से देखें।

### 10.2 अन्य संकेतक (Other Indicators)

10.2.1 क्या स्कूल में यूथ क्लब का गठन किया है? कृपया केवल हाँ / नहीं भरें।

10.2.2 क्या स्कूल में इको क्लब का गठन किया है? कृपया केवल हाँ / नहीं भरें।

10.2.3 क्या स्कूल में सभी शिक्षकों को शिक्षक पहचान पत्र जारी किए गए हैं? कृपया केवल हाँ / नहीं भरें।

**Note:-** MHRD के निर्देशों अनुसार, प्रत्येक सरकारी स्कूल में एक (Youth & Eco Club) युवा और ईको क्लब का गठन करना अनिवार्य है। कृपया 10.2.1 और 10.2.2 के लिए स्थिति के अनुसार उत्तर दें।

## Section 11: School Safety (स्कूल सुरक्षा) (For all schools)

स्कूल सुरक्षा प्रयासों को उन सभी प्रकार के खतरों पर ध्यान देने की आवश्यकता है जो बच्चों की भलाई को प्रभावित कर सकते हैं। इनमें प्राकृतिक खतरे जैसे बाढ़ और भूकंप के साथ-साथ मानव निर्मित खतरे शामिल हो सकते हैं। खतरों में संरचनात्मक और गैर-संरचनात्मक कारक शामिल हैं। **Note:-** केवल हां / नहीं में जवाब दें।

11.1	आपदाओं में भूकंप, सुनामी, बाढ़, ज्वालामुखी, आग और जंगल शामिल हैं। आपदा प्रबंधन में यह योजना शामिल है कि आपदा या आपातकाल के पहले, उसके दौरान क्या करना है। अगर स्कूल ने आपदाओं के लिए कोई योजना तैयार की है तो कृपया हां = 1 अन्यथा No=2 भरें।
11.2	स्ट्रक्चरल ऑडिट में इमारतों और परिसरों की एक व्यापक जांच शामिल है, जिनमें शामिल हैं: लोड की स्थिति का सत्यापन। भवन के संरचनात्मक प्रणाली का मूल्यांकन। मानव निर्मित संरचनात्मक कारक शामिल हैं i.e. जर्जर इमारतें, खराब डिजाइन वाली संरचनाएं, दोषपूर्ण निर्माण, खराब ढंग से बनाए गए बुनियादी ढाँचे, ढीले भवन निर्माण तत्व आदि। यदि भवन संरचना का कोई ऑडिट संरचनात्मक खतरों को ध्यान में रखते हुए किया गया है, तो कृपया 11.2 के लिए हां = 1 अन्यथा नहीं = 2 भरें।
11.3	मानव निर्मित गैर-संरचनात्मक i.e. शिथिल रूप से भारी वस्तुएं, साँपों द्वारा परिसर का अतिक्रमण और कोई अन्य कीट शामिल हैं, टूटे हुए या नहीं सीमा की दीवारें, असमान फर्श, अवरुद्ध निकासी मार्ग, खराब रूप से डिजाइन और रखा गया फर्नीचर जो दुर्घटनाओं और चोट का कारण बन सकता है, अपर्याप्त स्वच्छता सुविधाएं आदि। यदि भवन का गैर-संरचनात्मक खतरों को ध्यान में रखते हुए किया गया है, तो कृपया 11.2 के लिए हां=1 अन्यथा नहीं=2 भरें।

प्रपत्र भरते समय किसी प्रकार की परेशानी या शंका समाधान हेतु आपके जिले के अधिकारी से निम्न फोन नंबरों पर संपर्क किया जा सकता है।

**For any help or query regarding filling of U-DISE+ DCF 2019-20 please feel to free to contact on following mobile numbers**

S No	District Name	Officer/Official Name	Designation	Contact No.
1	Ambala	Sh. Subhash Kumar	Programmer	9813050754
2	Bhiwani	Ms. Ritu Chanana	Programmer	9416497844
3	Charkhi Dadri	Sh. Baljeet Singh Dahiya Ms. Harmender Singh	APC MIS Coordinator	9416547192 9034300629
4	Faridabad	Ms. Latika Malik	Programmer	9873200959
5	Fatehabad	Sh. Naresh Kumar Sh. Atma Ram	APC Data Entry Operator	9466758687 9896450529
6	Gurugram	Ms. Satya Parkash	APC	9868150800
7	Hisar	Sh. Manjeet Grewal	Programmer	9992666696
8	Jind	Sh. Harish Kumar	APC	9416108746 7015965938
9	Jhajjar	Sh. Satyawrat	APC	9466428127
10	Kaithal	Sh. Vikas Nagpal	Programmer	7015535553
11	Karnal	Sh. Pawan Singh	Programmer	9813248478
12	Kurukshetra	Sh. Rajan Mittal	Programmer	9215619197
13	Mahendragarh	Sh. Jitender Yadav	Programmer	9896150704
14	Nuh	Sh. Naseem	Clerk	9812681393
15	Palwal	Sh. Rakesh Kumar	Programmer	9315666606
16	Panchkula	Sh. Din Dayal	APC	9416310466
17	Panipat	Sh. Sushil Kumar	Programmer	9896470047
18	Rewari	Sh. Ajay	Programmer	9416878822
19	Rohtak	Sh. Suresh Hooda	APC	9034350563
20	Sirsa	Sh. Neeraj Makkar	Programmer	9728139339
21	Sonipat	Sh. Anil Nain	Programmer	9416077273
22	Yamunanagar	Sh. Raman Ramdev	Programmer	9034232915
<b>In case of further inquiry please contact</b>				
Sh. Maan Singh, Programmer, HSSPP Panchkula				9468379231

In case the query is not resolved mobile, please contact with IT-CELL, HSSPP at landline number 0172-2586035. The help material for U-DISE+ DCF 2019-20 is available on <http://www.hsspp.in/UDISE.aspx> and the online data feeding will be done on UDISE+ official website <http://www.udiseplus.gov.in/home>.